



असाधारण आम बैठक की सूचना Notice of the Extraordinary General Meeting

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज्अल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से

Through Video Conferencing (VC) or Other Audio-Visual Means (OAVM)

गुरुवार, ४ सितंबर, २०२५ | प्रातः ११.०० बजे Thursday, 4th September 2025 11.00 a.m.

www.pnbindia.in | Toll Free: 1800-1800 & 1800-2021 | Give a missed call 1800 180 8888













विषय-वस्तु

सूचना	4- 5
टिप्पणियां	6- 17
व्याख्यात्मक कथन	18- 33
नामांकन फॉर्म	34- 35
घोषणा और वचनबंध	36- 46

महत्वपूर्ण तिथियां

असाधारण आम बैठक की तिथि	गुरुवार, 4 सितंबर , 2025
नामांकन, चुनाव लड़ने और चुनाव में मतदान के लिए पात्र शेयरधारकों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट तिथि/कट-ऑफ तिथि	शुक्रवार, ८ अगस्त , २०२५
नामांकन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि	बुधवार, 20 अगस्त , 2025 सायं 5.00 बजे तक
नामांकनों की जांच (अगले कार्य दिवस पर)	गुरुवार, 21 अगस्त , 2025
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि	शनिवार, 30 अगस्त , 2025 सायं
(यदि एक से अधिक वैध नामांकन हों)	5.00 बजे तक
रिमोट ई-वोटिंग की अवधि	सोमवार 1 सितंबर, 2025 को प्रातः 9:00 बजे से बुधवार, 3 सितंबर, 2025 को सायं 5:00 बजे तक



CONTENTS

Notice	47- 48
Notes	49- 60
Explanatory Statement	61- 75
Nomination Form	76- 77
Declaration and Undertaking	78- 88

Important Dates

Date of Extraordinary General Meeting	Thursday, 4 th September, 2025
Specified Date/Cut-off date for the purpose of determining the shareholders eligible for nominating, contesting the election and voting in the Election	Friday, 8 th August, 2025
Last date for submission of Nomination Forms	Wednesday, 20 th August, 2025 till 5.00 p.m.
Scrutiny of Nominations (next working day)	Thursday, 21 st August, 2025
Last date for Withdrawal of Nominations (in case more than One Valid Nomination)	Saturday, 30 th August, 2025 till 5.00 p.m.
Period of Remote E-Voting	From 9.00 a.m. of Monday, 1 st September, 2025 to 5.00 p.m. of Wednesday, 3 rd September, 2025



प्रधान कार्यालय: प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली – 110075 (ई-मेल आईडी: hosd@pnb.co.in)

<u>सूचना</u>

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पंजाब नैशनल बैंक (इसके पश्चात इसे "बैंक" से संदर्भित किया जाएगा) के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक गुरुवार, 4 सितंबर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे (भारतीय मानक समय) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी जिसमें निमृलिखित कार्य किए जाएंगे:

मद संख्या 1 : बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 (इसके बाद "बैंकिंग विनियम अधिनियम" के रूप में संदर्भित), के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 9(3)(आई) और अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में निर्मित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद "योजना" के रूप में संदर्भित), पंजाब नेशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 (इसके बाद "पीएनबी विनियम" के रूप में संदर्भित), सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित ("सेबी सुचीकरण विनियम") और बैंक के शेयरधारक निदेशक के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 8 जुलाई 2016 (इसके बाद "भारत सरकार के दिशानिर्देश" और इसके संशोधन, यदि कोई हो) के साथ पठित अधिसूचना संख्या डीबीआर.एपीपीटी.सं 9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड के निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित एवं उपयुक्त' मापदंड पर आरबीआई मास्टर निर्देश (इसके बाद "आरबीआई मास्टर निर्देश" और इसमें आगे संशोधन के रूप में संदर्भित किया गया, यदि कोई हो) के अनुसार बैंक के केंद्र सरकार से भिन्न शेयरधरकों में से, जिनके वैध नामांकन प्राप्त हुए हैं, एक निदेशक का चुनाव करना तथा निर्वाचित निदेशक, चुनाव की तिथि के अगले दिन से दिनांक 05.10.2026 तक, जिस दिन तक पूर्ववर्ती शेयरधारक निदेशक, शेयरधारक निदेशक के रूप में पद पर बने रहते. पद धारण करेंगे तथा निम्नलिखित संकल्प पारित किया जाता है:-

" संकल्प किया जाता है कि प्रासंगिक योजना, बैंकिंग विनियम अधिनियम, पीएनबी विनियम, आरबीआई मास्टर निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से चुने गए एक आवेदक शेयरधारक को चुनाव की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण करने और दिनांक 05.10.2026 तक पद पर बने रहने के लिए बैंक के बोर्ड में निदेशक के रूप में एतदद्वारा नियुक्त किया जाता है।"

उपर्युक्त संकल्प को सेबी सूचीबद्धता विनियमों के विनियम 25 (2ए) के प्रावधानों के अंतर्गत भी माना जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली दिनांक : 13.08.2025 हस्ता/-(बिक्रमजित सोम) कंपनी सचिव

टिप्पणियाँ:

1. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो-विजुअल साधनों (ओएवीएम) के माध्यम से असाधारण आम बैठक

कॉर्पोरेट कार्य के मंत्रालय (एमसीए) अपने सितंबर 2023, दिसंबर 2022, मई 2022 और मई 2020 पूर्ववर्ती जारी परिपत्रों के साथ पठित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 के द्वारा कंपनियों को 30 सितंबर 2025 तक वीसी या ओएवीएम के माध्यम से अपनी ईजीएम आयोजित करने की अनुमित देता है। सेबी ने भी अपने परिपत्र दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के के माध्यम से आम बैठकों के संबंध में शेयरधारकों को प्रॉक्सी फॉर्म भेजने के संबंध में छूट को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया है।

उपर्युक्त दिशानिर्देशों एवं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 एवं सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सामान्य स्थल पर शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने वाले शेयरधारकों की गणना पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियम 58 के अंतर्गत कोरम की गणना के उद्देश्य से की जाएगी। ईजीएम के लिए मान्य स्थल बैंक का प्रधान कार्यालय होगा।

वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता, ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान और ई-वोटिंग हेतु सुविधा नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

शेयरधारक इस सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करके वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में शामिल हो सकते हैं, जिसे शेयरधारकों के लिए 4 सितंबर, 2025 को प्रात: 10:30 बजे से अर्थात ईजीएम शुरू होने के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले तक खुला रहेगा। बैंक/ एनएसडीएल वीसी/ ओएवीएम सुविधा में शामिल होने के लिए निर्धारित आरंभ के समय के 30 मिनट बाद विंडो बंद कर सकता है।

शेयरधारक कृपया ध्यान दें कि एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई वीसी/ओएवीएम सुविधा 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर कम से कम 1,000 शेयरधारकों की भागीदारी की अनुमित देती है। बैंक की 2% या इससे अधिक शेयर पूंजी रखने वाले शेयरधारक, प्रमोटर, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, लेखा परीक्षक आदि 'पहले आओ, पहले पाओ' के आधार पर बिना किसी प्रतिबंध के ईजीएम में भाग ले सकते हैं।

2. इस नोटिस में उल्लिखित कार्यसूची मद के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को दर्शाने वाला प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है।

3. प्रॉक्सी की नियुक्ति:

बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र शेयरधारक, स्वयं के स्थान पर भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और ऐसे प्रॉक्सी को बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है। उपर्युक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुसार, चूंकि शेयरधारकों की भौतिक उपस्थिति समाप्त कर दी गई है, अत: प्रॉक्सी की नियुक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, शेयरधारकों द्वारा प्रॉक्सी की नियुक्ति की सुविधा ईजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए, प्रॉक्सी एवं उपस्थिति पर्ची की नियुक्ति हेतु प्रलेख नोटिस के साथ संलग्न नहीं किया जा रहा है।

4. एक अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निकाय कॉर्पोरेट के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने और/या ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान करने का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाले संकल्प की प्रमाणित वास्तविक प्रतिलिपि, बैठक की तिथि से कम से कम चार दिन पहले अर्थात कार्यदिवस समाप्ति या उससे पूर्व अर्थात शनिवार, 30 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे तक 'शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली 110075' को उल्लेखित करते हुए हार्ड कॉपी में बैंक में hosd@pnb.co.in पर ई-मेल के माध्यम से या evoting@nsdl.co.m या hosd@pnb.co.in को कॉपी में रखते हुए । sachincs2022@gmail.com को ई-मेल के माध्यम से संवीक्षक को जमा की जानी है ।

बैंक के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को किसी शेयरधारक के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

5. निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि:

चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों का निर्धारण करने के उद्देश्य से अर्थात् केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक के चुनाव के लिए नामांकन, चुनाव लड़ने, बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 थी।

6. मतदान अधिकार

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (यथा संशोधित) की धारा 3 (2 ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अलावा बैंक का कोई भी शेयरधारक स्वयंधारित शेयरों के सम्बन्ध में बैंक के शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकार के 10% से अधिक मताधिकार प्रयुक्त करने का पात्र नहीं होगा। यदि कोई भी शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में जिसका नाम पहले है उसे एकल धारक माना जाएगा।

कम्पनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014, यथा संशोधित, के नियम 20 के अनुसार जो शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने तथा वोट देने का पात्र है, वे इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं।

7. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान

- सेबी सूचीबद्धता विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुसरण में और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 यथासंशोधित प्रावधानों के अनुसार, एमसीए परिपत्रों के साथ पठित, बैंक अपने शेयरधारकों को नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान किए गए ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक साधन (ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग) द्वारा ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करता है।
- व शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे तथा जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्प पर अपना वोट नहीं दिया है, वे ईजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे।
- III. जिन शेयरधारकों ने ईजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान किया है, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, परंतु वे पुन: मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।
- ।v. रिमोट ई-वोटिंग के निर्देश निम्नानुसार हैं:
 - क. रिमोट ई-वोटिंग अवधि सोमवार, 1 सितंबर, 2025 प्रात: 9.00 बजे से शुरू होकर बुधवार, 3 सितंबर , 2025 को सायं 5.00 बजे समाप्त हो जाएगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा मतदान के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि (तिथियों) बैंक के अनुसार बैंक के वे शेयरधारक, जिनके पास भौतिक रूप में या डीमैट रूप में शेयर हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। शेयरधारक गुरुवार 04 सितम्बर, 2025 को ईजीएम के दौरान, उसके समापन के 30 मिनट बाद तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान कर सकते हैं।
 - ख. रिमोट ई-वोटिंग की प्रक्रिया और पद्धति का विवरण नीचे दिया गया है।

एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में "दो चरण" शामिल हैं जो इस प्रकार हैं:

चरण 1: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग

क) <u>डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग और वर्चुअल</u> <u>बैठक में शामिल होने के लिए लॉगिन विधि।</u>

'सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा' पर सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/2020/242 दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां को रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों को निक्षेपागार तथा निक्षेपागार सहभागियों के साथ अनुरक्षित अपने डीमेट खातों के माध्यम से मतदान करने अनुमित है। ई-वोटिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने डीमैट खातों में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी अपडेट करें।

डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि निम्नानुसार है

<u>डामट माड</u>	<u>i प्रतिभूतियां रखने वाले वै</u>	यक्तिक शयरध	<u>गरको के लिए</u>	<u>र लागिन वि</u>	<u>धि निम्नानुस</u>	<u> रि ह</u>
शेयरधारकों	ॉगिन विधि					
का प्रकार						
एनएसडीएल	1. ओटीपी अ	गधारित	लॉगिन	के	लिए	आप
के साथ डीमैट	https://eservice	es.nsdl.com/	SecureWeb	/evoting/	<u>evotinglo</u>	gin.jsp
मोड में	पर क्लिक कर स					
प्रतिभूति रखने	की क्लाइंट आईड	_ '		_		_
वाले वैयक्तिक	जनरेट करना होग	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	_		•	_
शेयरधारक	दर्ज करें और लॉ					
	NSDL डिपॉजिटरी					
	पृष्ठ देख सकते					
	एनएसडीएल पर					
	अपना मतदान क					
	वोटिंग करने के वि					_
	किया जाएगा।	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
	2. मौजूदा IDeAS उप	ग्योगकर्ता अपन	ने व्यक्तिगत वं	ज्यटर या मे	बाइल के म	ाध्यम से
	एनएसडीएल अथ	_		٠,	'	
	सकते हैं। ई-सेवाउ					
	आइकन पर् क्लिक					
	अपनी उपयोगकर्त्					
	मूल्यवर्धित सेवाओं					
	सेवाओं के अंतर्गत'					
	पेज देख पाएंगे। बैंग् पर स्टिक्ट करें और					
	पर क्लिक करें और मीटिंग में शामिल					
	एनएसडीएल ई-वोर्					जायपग
	3. यदि आप IDeAS					विकल्प
	https://eservices					
	Portal	का	चयन	_	करें	या
	https://eservices	s.nsdl.com/Sed	cureWeb/ld	<u>easDirectR</u>	eg.jsp पर	क्लिक
	करें।					_
	 एनएसडीएल की ई- 	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			٠,	
	पर् निम्नलिखित यू					
	खोलें। ई-वोटिंग सि					
	'शेयरधारक/ सदस्					
	आपको अपनी उप					
	अंकों का डीमैट खा कोड को दर्ज कर	_ **				
	काड का दल कर निक्षेपागार साइट प					
	हैं। बैंक के नाम य					
	और रिमोट ई-वोति					
	-11 10-110 2 4110	יו -ואוא אי ע	,, ,, , , , , , , , , , , , , , , , , ,	iio Oiki i	73-101	

शामिल होने और मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

5. शेयरधारक/सदस्य नीचे उल्लिखित क्यूआर कोड को स्कैन करके निर्बाध मतदान अनुभव की सुविधा के लिए एनएसडीएल मोबाइल ऐप "एनएसडीएल स्पीडी" भी डाउनलोड कर सकते हैं



सीडीएसएल के साथ डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक

- 1. जिन उपयोगकर्ताओं ने सीडीएसएल Easi /Easiest सुविधा का विकल्प चुना है, वे अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। बिना किसी प्रमाणीकरण के ई-वोटिंग पृष्ठ तक पहुंचने का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। Easi /Easiest लॉगिन करने वाले उपयोगकर्ताओं से अनुरोध है कि वे CDSL वेबसाइट www.cdslindia.com पर जाएं और Login आइकन और नए सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर अपने मौजूदा My easi उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करें।
- 2. सफल लॉगिन के बाद Easi / Easiest उपयोगकर्ता उन पात्र कंपनियों के लिए ईaोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां कंपनी द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार मतदान जारी है। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, उपयोगकर्ता रिमोट ई-वोटिंग अवधि के दौरान अपना वोट डालने या वर्चु अल मीटिंग में शामिल होने और मीटिंग के दौरान aोटिंग करने के लिए ई-वोटिंग सेवा प्रदाता का ई-वोटिंग पेज देख पाएंगे। इसके अतिरिक्त, सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक पहुंचने के लिए लिंक भी उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उपयोगकर्ता सीधे ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं की वेबसाइट पर जा सकें।
- 3. यदि उपयोगकर्ता Easi /Easiest के लिए पंजीकृत नहीं है, तो पंजीकरण करने का विकल्प सीडीएसएल वेबसाइट <u>www.cdslindia.com</u> पर उपलब्ध है तथा लॉगिन और न्यू सिस्टम Myeasi टैब पर क्लिक करें और फिर पंजीकरण विकल्प पर क्लिक करें।
- 4. वैकल्पिक रूप से, उपयोगकर्ता <u>www.cdslindia.com</u> होम पेज पर उपलब्ध ई-वोटिंग लिंक से डीमैट खाता नंबर और पैन नंबर प्रदान करके सीधे ई-वोटिंग पेज तक पहुंच सकता है। सिस्टम डीमैट खाते में दर्ज पंजीकृत मोबाइल और ई-मेल पर ओटीपी भेजकर उपयोगकर्ता को प्रमाणित करेगा। सफल प्रमाणीकरण के बाद, उपयोगकर्ता ई-वोटिंग विकल्प देख सकेंगे जहां ई-वोटिंग चल रही है और सभी ई-वोटिंग सेवा प्रदाताओं के सिस्टम तक सीधे पहुंचने में भी सक्षम होंगे।

आप ई-वोटिंग सुविधा के लिए एनएसडीएल/सीडीएसएल के साथ पंजीकृत अपने निक्षेपागार सहभागी के माध्यम से अपने डीमैट खाते के लॉगिन विवरण का उपयोग करके भी लॉगिन कर सकते हैं। लॉग इन करने पर आपको ई-वोटिंग का विकल्प दिखाई देगा। ई-वोटिंग विकल्प पर क्लिक करने पर, सफल प्रमाणीकरण के बाद आपको एनएसडीएल/सीडीएसएल निक्षेपागार साइट पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा, जहां आप ई-वोटिंग सुविधा देख सकते हैं। बैंक का नाम या ई-वोटिंग सेवा प्रदाता अर्थात एनएसडीएल पर क्लिक करें और आपको रिमोट ई-वोटिंगअविध के दौरान वोट डालने या वर्चुअल मीटिंग में शामिल होने या मीटिंग के दौरान वोटिंग करने के लिए आपको एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर पुनः निर्देशित किया जाएगा।

महत्वपूर्ण सूचनाः: जो शेयरधारक उपयोगकर्ता आईडी/पासवर्ड पुनः बनाने में असमर्थ हैं; उन्हें सलाह दी जाती है कि वे उपर्युक्त वेबसाइटों पर उपलब्ध फॉरगेट यूजर आईडी एवं फॉरगेट पासवर्ड विकल्प का उपयोग करें।

निक्षेपागार अर्थात एनएसडीएल और सीडीएसएल के माध्यम से लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या के लिए डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारकों के लिए हेल्पडेस्क।

लॉगिन प्रकार	हेल्पडेस्क विवरण
एनएसडीएल के साथ डीमैट मोड में	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना
प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक	करने वाले शेयरधारक <u>evoting@nsdl.com</u> पर अनुरोध
शेयरधारक	भेजकर एनएसडीएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या
	022 - 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं।
सीडीएसएल के पास डीमैट मोड में	लॉगिन से संबंधित किसी भी तकनीकी समस्या का सामना
प्रतिभूतियां रखने वाले वैयक्तिक	करने वाले शेयरधारक
शेयरधारक	helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर
	सीडीएसएल हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं या टोल फ्री नंबर
	1800-21-09911पर संपर्क कर सकते हैं।

ख) डीमैट मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों और भौतिक मोड में प्रतिभूतियों के धारिता वाले शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के लिए लॉगिन विधि।

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन करने के चरण

- 1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर जाएं। अपने व्यक्तिगत कंप्यूटर या मोबाइल पर निम्नलिखित URL https://www.evoting.nsdl.com टाइप करके वेब ब्राउज़र खोलें।
- 2. एक बार ई-वोटिंग प्रणाली का होम पेज लॉन्च होने के बाद, "Login" आइकन पर क्लिक करें जो 'शेयरधारक/ सदस्य 'अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. एक नई स्क्रीन खुलेगी। आपको अपनी स्क्रीन पर दिखने वाली उपयोगकर्ता आईडी, अपना पासवर्ड/ओटीपी और एक सत्यापन कोड दर्ज करना होगा।

वैकल्पिक रूप से, यदि आप एनएसडीएल ई-सर्विसेज अर्थात IDEAS के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा IDEAS लॉगिन के साथ https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं। एक बार जब आप अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का उपयोग करने के बाद एनएसडीएल ई-सर्विसेज में लॉग-इन करते हैं, तो ई-वोटिंग पर क्लिक करें और आप चरण 2 पर आगे बढ़ सकते हैं अर्थात इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं।

4. आपकी उपयोगकर्ता आईडी का विवरण इस प्रकार है:

शेयर रखने का तरीका अर्थात डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	आपकी उपयोगकर्ता आईडी है:
क) एनएसडीएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	8 अंकों के ग्राहक आईडी के बाद 8 कैरेक्टर की डीपीआईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी डीपीआईडी IN300*** है और ग्राहक आईडी 12***** है तो आपकी यूजर आईडी IN300***12***** होगी
ख) सीडीएसएल के डीमैट खाते में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	16 अंकों की लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपकी लाभार्थी आईडी 12********* है तो आपकी यूजर आईडी 12********** होगी
ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए।	EVEN नंबर के बाद बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर उदाहरण के लिए, यदि फोलियो नंबर 001*** है और EVEN 101456 है तो यूजर आई 101456001*** होगी।

- 5. व्यक्तिगत शेयरधारकों के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों हेतु पासवर्ड विवरण निम्नानुसार हैं:
 - क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने मौजूदा पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन कर सकते हैं और अपना वोट डाल सकते हैं।
 - ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का उपयोग पहली बार कर रहे हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त करना होगा, जो आपको भेजा गया था। एक बार जब आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' पुनः प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' दर्ज करना होगा और सिस्टम आपको अपना पासवर्ड बदलने के लिए बाध्य करेगा।

- ग) अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे प्राप्त करें?
- (i) यदि आपकी ई-मेल आईडी आपके डीमैट खाते या बैंक के पास पंजीकृत है, तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपको आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाता है। अपने मेलबॉक्स से एनएसडीएल द्वारा आपको भेजे गए ई-मेल ढूंढें। ई-मेल खोलें और अटैचमेंट अर्थात् .pdf फ़ाइल खोलें। एनएसडीएल खाते के लिए .pdf फ़ाइल खोलने का पासवर्ड आपकी 8 अंकों की क्लाइंट आईडी है, सीडीएसएल खाते के लिए क्लाइंट आईडी के अंतिम 8 अंक या भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के लिए फोलियो नंबर पासवर्ड होगा। .pdf फ़ाइल में आपकी 'उपयोगकर्ता आईडी' और आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' होता है।
- (ii) जिनकी ई-मेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं तो वे शेयरधारक नीचे उल्लिखित प्रक्रिया के चरणों का पालन करें ।
- 6. यदि आप अपना पासवर्ड पुनः प्राप्त करने में असमर्थ हैं या आपने "प्रारंभिक पासवर्ड" प्राप्त नहीं किया है या भूल चुके हैं:
 - **क.** www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "Forgot User Details / Password?" पर क्लिक करें। (यदि आप एनएसडीएल या सीडीएसएल के साथ अपने डीमैट खाते में शेयर रख रहे हैं)
 - **ख. Physical User Reset Password?**" विकल्प <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध है। (यदि आपके पास भौतिक मोड में शेयर धारित हैं)
 - ग. यदि आप अभी भी उपर्युक्त दो विकल्पों से पासवर्ड प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो आप अपना डीमैट खाता सं./फोलियो नंबर, अपना पैन, अपना नाम और अपना पंजीकृत पता आदि का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.com पर एक अनुरोध भेज सकते हैं।
 - **घ.** सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर वोट डालने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी उपयोग कर सकते हैं।
- 7. अपना पासवर्ड दर्ज करने के बाद, चेक बॉक्स पर "Terms and Conditions" का चयन करके Agree पर टिक करें।
- 8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा।
- 9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद, ई-वोटिंग का होम पेज खुल जाएगा।

चरण 2: एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने तथा ईजीएम में शामिल होना

- चरण 1 पर सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के "EVEN" देख पाएंगे जिनमें आपकी शेयरधारिता हैं और जिनका वोटिंग साइकिल तथा आम बैठक 'active' स्थिति में है।
- 2. आप पंजाब नैशनल बैंक के "EVEN" का चयन करें जिसके लिए आप रिमोट ई-वोटिंग के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं तथा सामान्य बैठक के दौरान अपना वोट डालना चाहते हैं। ईजीएम में वर्चुअल भाग लेने के लिए, आपको "Join Meeting" के अंतर्गत दिए गए "वीसी/ओएवीएम" लिंक पर क्लिक करना होगा।

- 3. अब वोटिंग पेज खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं।
- 4. उचित विकल्प का चयन करके अपना वोट डालें, अर्थात उन शेयरों की संख्या की सहमित या असहमित, सत्यापित/ संशोधित करें जिनके लिए आप अपना वोट देना चाहते हैं और "Submit" पर क्लिक करें और संकेत मिलने पर "Confirm" पर भी क्लिक करें।
- 5. पुष्टि होने पर, "Vote cast successfully" यह संदेश प्रदर्शित किया जाएगा।
- 6. आप पुष्टिकरण पृष्ठ पर प्रिंट विकल्प को क्लिक करके अपने द्वारा डाले गए वोटों का प्रिंटआउट भी ले सकते हैं ।
- संकल्प पर आपके वोट डालने की आपकी पुष्टि के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी।

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

- 1. संस्थागत शेयरधारकों (अर्थात वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) को संबंधित बोर्ड के संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि की स्कैन की गई प्रति (पीडीएफ/जेपीजी प्रारूप) विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ जो मतदान करने के लिए अधिकृत हैं, संवीक्षक को ई-मेल द्वारा sachincs2022@gmail.com पर तथा evoting@nsdl.com. पर को कॉपी के साथ भेजना होगा। संस्थागत शेयरधारक (अर्थात् वैयक्तिक, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अतिरिक्त) अपने लॉगिन में "ई-वोटिंग" टैब के अंतर्गत प्रदर्शित "अपलोड बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र" पर क्लिक करके अपने बोर्ड संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को भी अपलोड कर सकते हैं।
- 2. यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ आप अपना पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतें। ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन सही पासवर्ड में विवरण के पांच असफल प्रयासों पर अक्षम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में, आपको पासवर्ड रीसेट करने के लिए <u>www.evoting.nsdl.com</u> पर उपलब्ध <u>"Forgot User Details /Password?"</u> या <u>"Physical User Reset Password?"</u> विकल्प पर जाना होगा।

किसी भी प्रश्न के मामले में, शेयरधारक <u>www.evoting.nsdl.com</u> के डाउनलोड अनुभाग पर उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल को देख सकते हैं या 022-48867000 पर कॉल कर सकते हैं या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, विरष्ठ प्रबंधक, नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, तृतीय तल, नमन चैंबर, प्लॉट सी-32, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा ईस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400051 निर्दिष्ट ईमेल पते: evoting@nsdl.com पर या टेलीफोन नंबर 022-48867000 पर अनुरोध भेज सकते हैं।

ऐसे शेयरधारक जिनकी ई-मेल आईडी निक्षेपागार के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनके लिए इस नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों के लिए ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने तथा ई-मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया:

- 1. यदि शेयर भौतिक रूप में धारित है, तो कृपया फोलियो नं., शेयरधारक के नाम, शेयर प्रमाणपत्र (सामने एवं पीछे) की स्कैन की गई प्रति, पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-अभिप्रमाणित स्कैन की गई प्रति बैंक के शेयर अंतरण अभिकर्ता (एसटीए) को beetalrta@gmail.com ई-मेल पर भेजें।
- 2. यदि शेयर डीमैट मोड में है, तो कृपया शेयरधारक डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकों की डीपीआईडी + सीएलआईडी या 16 अंकों की लाभार्थी आईडी), अपना नाम, क्लाइंट मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति के साथ पैन कार्ड और आधार कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई प्रति बैंक के एसटीए को beetalrta@gmail.com ई-मेल पर भेजें। यदि आप एक डीमैट मोड में रखे प्रतिभूतियों के वैयक्तिक शेयरधारक है, तो आपसे चरण 1 (क) अर्थात "डीमैट मोड में प्रतिभृतियों को रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए वर्चुअल मीटिंग में भाग लेने और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन की विधि" में बताई गई लॉगिन विधि का सन्दर्भ लेने का अनुरोध किया जाता है।
- 3. वैकल्पिक रूप से, शेयरधारक उपर्युक्त उल्लिखित दस्तावेजों को प्रदान करके ई-वोटिंग हेतु यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करने के लिए <u>evoting@nsdl.com</u> को अनुरोध कर सकते है।
- 4. सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के परिपत्र दिनांक 9 दिसंबर, 2020 के अनुसार, डीमैट मोड में प्रतिभूतियां रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारकों को निक्षेपागार और निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ रखे गए अपने डीमैट खाते के माध्यम से वोट करने की अनुमित है। ई-वोटिंग सुविधा तक पहुंचने के लिए शेयरधारकों को अपने डीमैट खाते में अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी सही ढंग से अपडेट करना आवश्यक है।

ईजीएम के दिन ई-वोटिंग हेतु शेयरधारकों के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर उल्लिखित निर्देशों के समान है।
- 2. केवल वे शेयरधारक, जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होंगे एवं जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा संकल्पों पर अपना वोट नहीं डाला है और अन्यथा प्रतिबंधित नहीं किया गया है, वे ईजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट देने के पात्र होगें।
- 3. जिन शेयरधारकों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से वोट दिया है, वे ईजीएम में भाग लेने के पात्र होंगे, हालांकि, वे ईजीएम में वोट देने के पात्र नहीं होंगे।
- 4. ईजीएम के दिन ई-वोटिंग की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए जिन व्यक्तियों से संपर्क किया जा सकता है, उनका विवरण रिमोट ई-वोटिंग यथाउल्लिखित के अनुसार ही होगा।

शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में भाग लेने के लिए निर्देश निम्नानुसार हैं:

- 1. शेयरधारक एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वीसी/ओएवीएम सुविधा के द्वारा ईजीएम में भाग लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। शेयरधारक "Access to NSDL e-Voting system" हेतु उपर्युक्तानुसार चरणों का पालन कर प्रवेश कर सकते हैं। सफलतापूर्वक लॉगिन के बाद, आप बैंक के नाम के सामने "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत "VC/OAVM link" का लिंक देख सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि "Join Meeting" मेन्यू के अंतर्गत दिए गए "VC/OAVM link" पर क्लिक करें। वीसी/ओएवीएम का लिंक 'Shareholder/Member login' में उपलब्ध होगा जहां बैंक का EVEN प्रदर्शित होगा। कृपया ध्यान दें कि जिन शेयरधारकों के पास ई-वोटिंग के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं है या वे यूजर आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे अंतिम समय पर भागदौड़ से बचने के लिए नोटिस में उल्लिखित रिमोट ई-वोटिंग निर्देशों का पालन करके इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं।
- 2. बेहतर अनुभव हेतु शेयरधारकों को लैपटॉप के माध्यम से बैठक में शामिल होने सलाह दी जाती है।
- 3. इसके अतिरिक्त सदस्यों को बैठक के दौरान किसी भी व्यवधान से बचने के लिए अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का उपयोग करना होगा। कृपया ध्यान दें कि मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित नेटवर्क आने-जाने के कारण ऑडियो/वीडियो की हानि का अनुभव हो सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार की उपरोक्त गड़बड़ियों को कम करने के लिए स्थिर वाई-फाई या लैन कनेक्शन का उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है।
- 4. ईजीएम में किए जाने वाले कार्य के संबंध में, शेयरधारक अपने प्रश्न पंजीकृत ई-मेल पते से, अपना नाम, डीपी आईडी और ग्राहक आईडी नंबर/फोलियो नंबर और मोबाइल नंबर का उल्लेख करते हुए, 14 अगस्त,2025 को प्रात: 10 बजे से 18 अगस्त, 2025 सायं 5.00 बजे या उससे पहले अग्रिम रूप से बैंक की ई-मेल आईडी hosd@pnb.co.in पर भेज सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में सहभागिता करने वाले शेयर धारक प्रश्न बॉक्स विकल्प के माध्यम से भी प्रश्न/फीडबैक दे सकते हैं। शेयरधारकों द्वारा ऐसे प्रश्नों को बैठक के दौरान उठाया जाएगा या बाद में बैंक द्वारा उचित उत्तर दिया जाएगा।
- 5. संस्थागत निवेशक, जो बैंक के शेयरधारक हैं, उनसे वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने का अनुरोध किया जाता है।

8. संवीक्षक

मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव, को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया की जांच करने के लिए बैंक द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। संवीक्षक ईजीएम के समापन पर बैठक के अध्यक्ष को डाले गए कुल मतों पर एक समेकित संवीक्षक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, बैंक स्टॉक एक्सचेंज, एनएसडीएल और बैंक की वेबसाइट पर संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ परिणाम डालकर मतदान के परिणाम की तुरंत घोषणा करेगा।

9. अन्य सूचना

- क. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित सेबी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी-पीओडी-2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 को इसके पूर्ववर्ती परिपत्रों के साथ पठित, बैंक की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) की सूचना, अन्य बातों के साथ-साथ, ई-वोटिंग आदि की प्रक्रिया और तरीके आदि का संकेत उन सभी शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में को भेजा जा रहा है, जिनके ई-मेल आईडी बैंक के एसटीए/निक्षेपागार प्रतिभागी(यों) के साथ पंजीकृत हैं।
- ख. शेयरधारक यह भी नोट कर सकते हैं कि ईजीएम की सूचना बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.in, स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड और नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट क्रमश: www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।
- ग. बैंक द्वारा की गई 'हरित पहल' को ध्यान में रखते हुए, शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपनी ई-मेल आईडी बैंक के एसटीए और इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत करवाएं।
- **घ.** नाम, डाक पता, ई-मेल पता, टेलीफोन/मोबाइल नंबर, स्थायी खाता संख्या (पैन), अधिदेश, नामांकन, बैंक विवरण जैसे बैंक का नाम और शाखा विवरण, बैंक खाता संख्या से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हो, के मामले में , एमआईसीआर कोड, आईएफएससी कोड इत्यादि, भौतिक रूप में धारित शेयरों के मामले में, शेयरधारक बैंक के एसटीए के साथ और इलेक्ट्रॉनिक रूप में धारित शेयरों के मामले में अपने संबंधित निक्षेपागार प्रतिभागियों के साथ इसे अपडेट करवा सकते हैं।
- **ड**. ऐसे शेयरधारक जिनके पास समान नामों में या संयुक्त नामों में कई फोलियो हैं, जो भौतिक रूप में शेयर धारित हैं, उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे एक ही फोलियो में समेकित करने के लिए अपने शेयर प्रमाणपत्रों को एसटीए को भेजें।
- च. भौतिक धारिता का डीमटेरियलाइजेशन: सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 40 के अनुसार, यथासंशोधित, ट्रांसिमशन और ट्रांसपोज़िशन अनुरोधों सिहत प्रतिभूतियों के हस्तांतरण के सभी अनुरोध केवल डीमटेरियलाइज्ड रूप में संसाधित किए जाएंगे। इसे ध्यान में रखते हुए और भौतिक शेयरों से जुड़े सभी जोखिमों को खत्म करने और डीमटेरियलाइजेशन के विभिन्न फायदों का लाभ उठाने के लिए, शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने पास मौजूद शेयरों को भौतिक रूप में डीमटीरियलाइज करें। सदस्य इस संबंध में सहायता के लिए बैंक या बैंक के एसटीए से संपर्क कर सकते हैं।
- **छ.** शेयरों के डीमैटरियलाइजेशन की प्रक्रिया बैंक की वेबसाइट अर्थात https://www.pnbindia.in/ पर 'Investor Info' के अंतर्गत उपलब्ध है।.

व्याख्यात्मक कथन

मद संख्या 1: एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 9 (3) (i) के अनुसार, निदेशक मंडल में आम बैठक में उनके शेयरधारकों (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) द्वारा चुने गए निदेशक शामिल होंगे। शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या नीचे दी गई है:

- एक निदेशक, जहां सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- दो निदेशक जहां सार्वजिनक शेयरधारिता सोलह प्रतिशत से अधिक है लेकिन कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक नहीं है;
- तीन निदेशक जहां सार्वजिनक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है

चूंकि बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता 29.92% है, इसलिए केन्द्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक बैंक के बोर्ड में दो निदेशकों का चुनाव करने के हकदार हैं।

दिनांक 06.06.2025 तक बैंक के बोर्ड में शेयरधारकों द्वारा श्री जितंदर सिंह बजाज और श्री अंबरीश ओझा नामक दो निदेशकों का चयन किया, जिन्होंने क्रमशः दिनांक 06.10.2023 और दिनांक 12.09.2024 को पदभार ग्रहण किया।

बैंक को आरबीआई के पत्र दिनांक 13.05.2025 और 02.06.2025 के अनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम के सेवारत कर्मचारियों को पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़ा माना जाता है और इस प्रकार वे भारतीय रिज़र्व बैंक- मास्टर निर्देश (पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) दिनांक 02 अगस्त, 2019 के निर्देश, 2019 के पैरा 4.3(iv)(B) के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के रूप में रहने के लिए योग्य नहीं हैं।

तदनुसार, भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के उत्तरी अंचल के प्रभारी श्री जितंदर सिंह बजाज, अंचल प्रबंधक ने दिनांक 05.06.2025 को अपना त्यागपत्र दे दिया और बोर्ड की स्वीकृति पर दिनांक 06.06.2025 से बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहे।

इसलिए, बैंक के एक शेयरधारक निदेशक के त्यागपत्र के कारण उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव किया जा रहा है और निर्वाचित निदेशक चुनाव की तिथि के अगले दिन से 05.10.2026 तक पद पर बने रहेंगे, जिस दिन तक पूर्ववर्ती शेयरधारक निदेशक पद पर बने रहते।

शेयरधारक (केन्द्र सरकार के अलावा) प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के हकदार हैं।

1. विधिक प्रावधान

प्रासंगिक अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना/दिशानिर्देशों के प्रासंगिक उद्धरण/भाग यहां पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:

अधिनियम/योजना/विनियम/अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
एं	714411	11141-111411-1
बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	 पर्याप्त रुचि सामान्य निदेशकों का निषेध अपने किसी भी निदेशक को या उसकी ओर से ऋण या अग्रिम देने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(आई) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) अनुभाग 9(3एए) और धारा 9(3एबी)	 मतदान के अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी और आरबीआई द्वारा निर्धारित अन्य मानदंडों के आधार पर ' उचित और उपयुक्त' स्थिति वाला व्यक्ति न हो।
	धारा 9(3बी) धारा 13(2)	 भारतीय रिजर्व बैंक को ऐसे निर्वाचित निदेशक को हटाने का अधिकार है जो उक्त अधिनियम की धारा 9(3ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता है। निष्ठा और गोपनीयता के संबंध में दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी	 निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने या निदेशक होने से अयोग्यताएं निदेशक का पद रिक्त होना निर्वाचित निदेशक को पद से हटाना निर्वाचित निदेशक के पद पर आकस्मिक रिक्ति को भरना

	खंड 12(8)	 निदेशकों द्वारा कुछ व्यवस्थाओं में रुचि का प्रकटीकरण, जिनमें वे रुचि रखते हैं।
	खंड 14ए	 विशेष प्रावधान- किसी सिमिति की शक्ति का प्रयोग, ऐसी सिमिति के गणपूर्ति की अनुपलब्धता की स्थिति में बोर्ड द्वारा किया जाना।
पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000	विनियम 10	 संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग
14111, 2000	विनियम 61 विनियम 63	 आम सभाओं में मतदान निदेशकों का चुनाव आम बैठकों में किया जाएगा
	विनियम 64 विनियम 65	 शेयरधारकों की सूची चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन
	विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68	नामांकनों की जांचचुनावी विवादमताधिकार का निर्धारण
	विनियम ६९	 विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान
आरबीआई (निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर) निर्देश, 2019 - डीबीआर.Appt.सं.9/ 29.67.001 / 2019-20 दिनांक 02.08.2019 और उसके बाद के	धारा ९(३एए) और धारा के अनुसार बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए उपयुक्त और उचित मानदंड।
संशोधन।	अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3एबी)	
अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और उसके बाद के संशोधन दिनांक 8 जुलाई 2016, भारत सरकार के पत्र दिनांक 28 अप्रैल 2015 और 20 जुलाई,	भारत सरकार की दि अनुसार, बैंकिंग कंप अधिनियम, 1970 की निदेशक के रूप में 1	नांक 3 सितम्बर 2013 की अधिसूचना के पनी (उपक्रमों के अर्जन एवं अंतरण) धारा 9 (3)(i) के परिपेक्ष में शेयरधारक निर्वाचित किए जाने वाले उम्मीदवारों की स्थिति का निर्धारण करते समय संबंधित
2016 के साथ पठित और उसमें संशोधन, यदि कोई हो। आरबीआई मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई	दिशानिर्देशों को ध्यान	। में रखा जाना चाहिए। ारों को ऋण और अग्रिम राशि प्रदान
2015, इस संबंध में किसी भी अन्य परिपत्र सहित संशोधित।	करना।	
सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015।	स्वतंत्र निर्देशक से संब	बंधित प्रावधान एवं उनकी नियुक्ति।

शेयरधारकों की सुविधा के लिए, अधिनियम, बैंकिंग विनियम अधिनियम, योजना, पीएनबी विनियमों के साथ-साथ पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए ' उपयुक्त एवं उचित' मानदंड पर आरबीआई मास्टर दिशानिर्देश दिनांक 2 अगस्त, 2019, के प्रासंगिक उद्धरण, यथासंशोधित और भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश बैंक की वेबसाइट www.pnbindia.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। नामांकन फॉर्म जमा करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि अर्थात बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे तक या उससे पहले hosd@pnb.co.in पर ई-मेल के माध्यम से कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक को संबोधित अनुरोध प्राप्त होने पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल भी भेजे जाएंगे।

2. चुनाव में भागीदारी

ऐसे शेयरधारक जिनका नाम निर्दिष्ट/कट-ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 को एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत शेयरधारकों/लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव में भाग लेने, अर्थात नामांकन करने, चुनाव लड़ने और मतदान करने के हकदार होंगे।

उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार निदेशक के चुनाव में वोट देने की हकदार नहीं है।

3. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए आवश्यक योग्यताएं

- i) अधिनियम की धारा 9(3ए) के संदर्भ में, एक उम्मीदवार, जो बैंक का शेयरधारक है और जो अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने की इच्छा रखता है उसे:
 - i. निम्नलिखित में से एक या अधिक मामलों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो, अर्थात:
 - कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,
 - बैंकिंग,
 - कॉ-ऑपरेशन,
 - अर्थशास्त्र,
 - वित्त,
 - विधि,
 - लघु उद्योग,
 - कोई अन्य मामला जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में, बैंक के लिए उपयोगी होगा, जिसमें (1) सूचना प्रौद्योगिकी (2) भुगतान और निपटान प्रणाली (3) मानव संसाधन (4) जोखिम प्रबंधन और (5) व्यवसाय प्रबंधन से संबंधित मामले या क्षेत्र शामिल हैं [आरबीआई परिपत्र डीबीआर.Appt.बीसी संख्या 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर, 2016]
 - ii. जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता है; या iii.किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है
 - ii) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार, एक उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और जो बैंक का निदेशक बनने की इच्छा रखता है, उसके पास 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति होनी चाहिए।

- iii) अधिनियम की धारा 9(3एबी) के संदर्भ में, रिज़र्व बैंक उप-धारा 3(एए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना में 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण, इस तरह के निर्धारण का तरीका भी निर्दिष्ट कर सकता है। ऐसे निर्धारण और ऐसे अन्य मामलों के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जिन्हें आवश्यक या प्रासंगिक माना जा सकता है।
- iv) इसके अलावा, निर्वाचित निदेशक को अनुबंध पत्र निष्पादित करना चाहिए और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने से अयोग्यताएं

- i) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अनुसार, कोई व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने और निदेशक होने के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा:
 - क. यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित किया गया हो या उसने भुगतान निलंबित कर दिया हो या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या
 - ख. यदि वह मानसिक रूप से विक्षिप्त पाया गया है और सक्षम न्यायालय द्वारा उसे मानसिक रूप से विक्षिप्त घोषित कर दिया गया है; या
 - ग. यदि उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता शामिल है; या
 - **घ.** यदि वह भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या स्टेट बैंक की धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक के अंतर्गत लाभ का कोई पद रखता है। (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959, अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ई) और (एफ) के अंतर्गत बैंक के कर्मचारी नामित प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर।
- ii. यदि वह मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड) दिशानिर्देश, 2019 दिनांक 2 अगस्त, 2019 और भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 सितंबर 2013 और उसके बाद के संशोधन, यदि कोई हो, के साथ पठित सरकार के अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 8 जुलाई 2016, के संदर्भ में 'उपयुक्त एवं उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है।

5. कार्यकाल

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 9(4) के अनुसार, निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष तक पद पर रहेगा और पूनः निर्वाचित होने का पात्र होगा।

बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक छह वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार पद पर नहीं रहेगा।

6. निदेशकों का पद रिक्त होना, आदि।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 की धारा 11 के अनुसार:

i) यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अयोग्यता के अधीन हो बोर्ड की अनुमित के बिना लगातार तीन बैठकों से अधिक अनुपस्थित रहता है तो यह माना जाएगा कि उसने अपना पद रिक्त कर दिया है और उसके बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा। ii) अध्यक्ष या पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंध निदेशक या निदेशक सहित [अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (बी) या खंड (सी) में निर्दिष्ट] केंद्रीय सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं और सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा उन्होंने अपना पद खाली कर दिया है; कोई अन्य निदेशक केंद्रीय सरकार को लिखित नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और ऐसा त्यागपत्र केंद्रीय सरकार द्वारा त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने पर प्रभावी होगा।

7. निर्वाचित निदेशक को पद से निष्कासित करना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 11ए के अनुसार, केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, जो ऐसे सभी शेयरधारकों द्वारा धारित शेयर पूंजी के कम से कम आधे हिस्से को धारण करते हैं, धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (i) के अंतर्गत निर्वाचित किसी निदेशक को हटा सकते हैं और उसके स्थान पर रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चयन कर सकते हैं।

8. निर्वाचित निदेशक के पद पर रिक्ति को भरना

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 11बी के अनुसार:

- i) जहां किसी निर्वाचित निदेशक के कार्यकाल की समाप्ति से कोई रिक्ति होती है, वहां रिक्ति को चुनाव द्वारा भरा जाएगा।
 - बशर्ते कि जहां रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना हो, वहां रिक्ति को शेष निदेशकों द्वारा भरा जा सकेगा।
- ii) उप-खण्ड (i) के अधीन, जैसा भी मामला हो, निर्वाचित या सहयोजित व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

9. राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए के अनुसार विशेष प्रावधान

योजना के खंड 14ए के अनुसार, जहां किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को विधि द्वारा कोई कार्य या कार्य करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करने के लिए बैंक के बोर्ड की किसी समिति द्वारा किसी नियुक्ति, अनुमोदन या समीक्षा के संबंध में प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों की अनुशंसा या निर्धारण या समाधान अपेक्षित होता है, और यदि बोर्ड इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी समिति की बैठक के लिए कोरम ऐसी समिति में किसी रिक्ति के अस्तित्व या उसके सदस्य द्वारा त्यागपत्र देने के कारण पूरा नहीं हो सकता है, तो बोर्ड वह कार्रवाई या कार्य कर सकता है।

10.मास्टर निर्देश - भारतीय रिज़र्व बैंक (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड) निर्देश, 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (उएए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ('उपयुक्त और उचित' मानदंड) पर मास्टर दिशानिर्देश जारी किए हैं। पीएसबी के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए दिनांक 2 अगस्त, 2019 को बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 9 (3) (आई) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंकों के बोर्ड में निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जाने वाले विशिष्ट 'उपयुक्त एवं उचित' मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

उपयुक्त और उचित' स्थिति आदि तय करने के लिए प्राधिकरण, तरीके/प्रक्रिया और मानदंड इस प्रकार हैं:

- i) प्राधिकार: बैंक को एक नामांकन और पारिश्रमिक सिमिति ['सिमिति'] का गठन करना आवश्यक है जिसमें निदेशक मंडल में से कम-से-कम तीन गैर-कार्यकारी निदेशक शामिल होंगे, जिनमें से आधे से कम स्वतंत्र निदेशक नहीं होंगे और अधिनियम की धारा 9(3)(आई) के अंतर्गत निदेशक के रूप में चुने जाने वाले व्यक्तियों की 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए बोर्ड की जोखिम प्रबंधन सिमित से कम-से-कम एक सदस्य को शामिल करना चाहिए। इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा नामित निदेशक और अधिनियम की धारा 9(3)(सी) के अंतर्गत नामित निदेशक इस सिमिति का हिस्सा नहीं हो सकते हैं। बैंक के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष को सिमिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन वह ऐसी सिमिति की अध्यक्षता नहीं करेंगे। सिमिति का कोरम अध्यक्ष सिहत तीन से होगा।
- ii) विधि एवं प्रक्रिया: बैंक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से निर्धारित प्रारूप में आवश्यक जानकारी एवं एक घोषणा तथा वचन पत्र प्राप्त करेगा। नामांकन और पारिश्रमिक सिमिति नामांकन स्वीकार करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और नीचे उल्लिखित मानदंडों के आधार पर यह निर्धारित करेगी कि व्यक्ति की उम्मीदवारी स्वीकार की जानी चाहिए या नहीं। हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, सिमिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक समझे, उचित प्राधिकारी/व्यक्तियों को संदर्भ देगी, तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवार संकेतित आवश्यकताओं के अनुरूप है।
- iii) मानदंड: नामांकन और पारिश्रमिक समिति यहाँ नीचे उल्लिखित व्यापक मानदंड के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उपयुक्त तथा उचित' स्थित का निर्धारण करेगी:
 - आयु उम्मीदवार की आयु चुनाव हेतु नामांकन जमा करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि को 35 से 67 वर्ष के मध्य होनी चाहिए ।
 - शैक्षिक योग्यता उम्मीदवार कम से कम स्नातक होना चाहिए।
 - अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र आरबीआई परिपत्र सं. डीबीआर .Appt.बीसी.सं. 39 / 29 39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर, 2016 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 (3ए) (ए) में दिए गए एक या अधिक मामलों के संबंध में उम्मीदवार को विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

- अयोग्यता- राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970/1980 के खंड 10 के अंतर्गत यथा निर्धारित 'निदेशकों की अयोग्यता' के अतिरिक्त:
 - क) उम्मीदवार किसी भी बैंक (जिसमें बैंकिंग कंपनी, संबंधित नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सम्मिलित हैं) या रिजर्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक को धारण करने वाली गैर-ऑपरेटिव वित्तीय होल्डिंग कंपनी (एनओएफएचसी) के बोर्ड का सदस्य नहीं होना चाहिए।
 - ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति के संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।तथापि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे किसी प्रबंधकीय नियंत्रण का लाभ नहीं उठाते हैं।
 - ग) बैंक के बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव/फिर से चुनाव नहीं किया जा सकता है, यदि उसने किसी बैंक/वित्तीय संस्था/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के तहत् लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य किया हो।
 - घ) उम्मीदवार को स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय में संलग्न नहीं होना चाहिए।
 - ङ) उम्मीदवार को संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं होना चाहिए ।
 - च) उम्मीदवार ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य करने वाला नहीं होना चाहिए जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न हैं।
 - छ) उम्मीदवार को किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जो वर्तमान में उस बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।
- कार्यकाल: निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनर्निर्वाचन हेतु पात्र होगा: बशर्ते कि ऐसा कोई निदेशक लगातार या अनिरंतर रूप से 6 वर्षों से अधिक की अवधि के लिए पद पर नहीं रहेगा।

• व्यावसायिक प्रतिबंध –

क. उम्मीदवार का संबंधित बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (विधि सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सिहत) होना चाहिए और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यापारिक हित में टकराव हो सकते हैं।

ख. उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।

बशर्ते चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करते समय बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) के अंतर्गत अपेक्षाएं पूरी करने वाला तभी माना जाएगा, जब उम्मीदवार उम्मीदवार नामांकन और पारिश्रमिक समिति को एक घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि निदेशक के रूप में चुने जाने पर बैंक के साथ इस तरह के संबंध को अलग कर दिया जाएगा तथा निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पूर्व ऐसे संबंध से स्वयं को अलग कर लेंगे।

• ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यिनिष्ठा: उम्मीदवार किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं होना चाहिए तथा किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

iv) बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेंगे:

- **क.** ऐसे व्यक्ति के निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्रारूप में निष्पादित अनुबंध का एक विलेख।
- ख. 31 मार्च को एक साधारण घोषणा इस आशय की होगी कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले ही प्रदान की गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- ग. जहां निर्वाचित निदेशक सूचित करता है कि पहले प्रदान की गई जानकारी में बदलाव हुआ है, बैंक ऐसे निदेशक से परिवर्तनों को शामिल करते हुए एक नई घोषणा और वचन पत्र प्राप्त करेगा।
- v) बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे । इसके अतिरिक्त.
- क. निर्वाचित सीए निदेशक/उसकी फर्म के ग्राहकों के उचित प्रकटीकरण सिहत सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएंगे तथा बैंक के ऋण/निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेंगे, जिसमें उसके/फर्म के ग्राहक शामिल हैं। निर्वाचित सीए निदेशक को पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखना होगा तथा इससे संबंधित प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करना होगा।
- ख. निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और डायरेक्टरशिप का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण अपेक्षित है, जिससे उन्हें व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाकर रखनी है तथा उन संस्थाओं जिनके वे हितधारक हैं, सहित बैंक के ऋण/निवेश संबंधी निर्णयों में भाग नहीं लेंगे।
- ग. किसी ऐसे व्यक्ति को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित न करें, जो ऐसे निदेशक का पद छोड़ने के पश्चात् दो वर्षों की अविध के लिए उस बैंक का निर्वाचित निदेशक था।

vi) जहां निर्वाचित निदेशक:

- क. विफल रहता है:
 - (i) प्रसंविदा विलेख या घोषणा पत्र जमा करने में असफल रहता है; या
 - (ii) उचित प्रकटीकरण करने में असफल रहता है;या
 - (iii) ऋण/निवेश निर्णयों में भाग लेने से बचने में असफल रहता है. जिसमें वे रुचि रखते हैं: या

ख. अपूर्ण या गलत प्रकटीकरण करते हैं, या

ग. ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं जिसके कारण उन्हें उपर्युक्त उल्लिखित मानदंड के अनुसार 'उपयक्त और उचित' नहीं पाया जाता है।

ऐसे निदेशक के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा (3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया है तथा इसके परिणामों के लिए वे उत्तरदायी होंगे।

11.भारत सरकार के दिशानिर्देश

भारत सरकार के दिनांक 3 सितंबर, 2013 के पत्र के माध्यम से जैसीकि दी गई सलाह के अनुसार बोर्ड की 'नामांकन और पारिश्रमिक समिति' शेयरधारक निदेशक की 'उपयुक्त तथा उचित स्थिति' का निर्धारण करते समय गैर-सरकारी निदेशक की नियुक्ति करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखेंगी। भारत सरकार ने दिनांक 25 मार्च, 2015 को जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देश, तथा दिनांक 8 जुलाई, 2016 को किए गए संशोधन, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा 20 जुलाई, 2016 के पत्रों के माध्यम से अग्रेषित किया है, जिसका सार निम्नानुसार है:

i. सामान्य

- क. नामांकन संबंधित अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किए जाएंगे।
- ख. नामंकितियों की उपयुक्तता का आंकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यिनष्ठा आदि के अनुसार की जा सकती है। सत्यिनष्ठा और उपयुक्तता का आंकलन करने हेतु, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति की जानकारी, व्यक्तिगत ऋण लेने के लिए की गई नागरिक कार्यवाही, पेशेवर निकायों से प्रवेश या निकासी से इनकार, नियामकों और समान निकायों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों तथा पूर्व संदेहास्पद कारोबारी गतिविधियों आदि पर भरोसा किया जाएगा।

ii. अनुभव

- क. कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा। एक वरिष्ठ पद पर 20 साल के उद्योग का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञ (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में परिवर्तन लाया) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ख. 20 वर्ष के कुल अनुभव वाले सेवानिवृत्त विरष्ठ सरकारी अधिकारी और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर पर 10 वर्षों का न्यूनतम अनुभव । सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी/ईडी। भूतपूर्व सीएमडी/ईडी के संबंध में पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार नहीं जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। पीएसबी के सेवारत सीएमडी/ईडी को किसी अन्य पीएसबी के बोर्ड में एनओडी के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।
- ग. 20 से अधिक वर्षों के अनुभव वाले प्रीमियर प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादिमक निदेशक और प्रोफेसर।

- घ. 20 वर्षों के अनुभव (लेखापरीक्षा के अनुभव को छोड़कर) वाले सनदी लेखाकारों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- ङ. हालांकि, योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदन से अनुभव मानदंड में रियायत दी जा सकती है।
- च. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

iii. शिक्षा

एक एनओडी को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी स्ट्रीम में स्नातक होना चाहिए।

iv. आयु

निदेशक की आयु खोज समिति द्वारा सिफारिश की तिथि को 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

v. कार्य अनुभव

पेशेवर/शिक्षाविदों को सामन्य रूप से अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

vi. अयोग्यताएं

- **क.** किसी बैंक/वित्तीय संस्थान (वित्तीय संस्थानों)/ आरबीआई / बीमा कंपनी में पहले से ही किसी भी श्रेणी के अंतर्गत कोई निदेशक पर, किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / आरबीआई / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जा सकता है।
- ख. किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, संसद सदस्य, विधान सभा के सदस्य, विधान परिषदों के सदस्य और स्टॉक ब्रोकर्स से जुड़े व्यक्तियों को बैंकों / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनियों के बोर्ड के गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों के निवेशकों को एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।
- ग. किसी व्यक्ति को बैंक / वित्तीय संस्थानों / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में एनओड़ी के रूप में पुनः नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिस पर उन्होंने किसी भी श्रेणी के अंतर्गत पूर्व में दो कार्यकाल या छह वर्ष जो भी अधिक हो, निदेशक के रूप में सेवा की है।
- **घ.** यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्म का कोई भी भागीदार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/पीएसबी में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।
- ड. यदि सनदी लेखाकार फर्म वर्तमान में किसी सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में एक राष्ट्रीयकृत बैंक में संलग्न है, तो उस सनदी लेखाकार फर्मों में से कोई भी भागीदार उसी बैंक में एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होना चाहिए।

vii. कार्यकाल

बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए एनओडी पर विचार नहीं किया जाएगा यदि ऐसा निदेशक पहले ही किसी अन्य बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अनिरंतर रूप से एनओडी/शेयरधारक-निदेशक रह चुके हैं।

viii. व्यावसायिक प्रतिबंध

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के खंड 10(घ) के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिबंध का मामला बनाम लाभ के पद की अलग से जांच की जा सकती है।

ix. क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व को एक साथ लेकर- देश के सभी छह क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

शेयरधारक निदेशक का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की 'उपयुक्त एवं उचित स्थिति 'का निर्धारण करते समय, गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 25.03.2015 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा अनुवर्ती पत्र दिनांक 08.07.2016 के द्वारा बाद के संशोधनों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। हालांकि ये दिशानिर्देश उपर्युक्त भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर निदेशों के अनुरूप किए गए हों।

12.शेयरधारकों की सूची

पंजाब नैशनल बैंक के 64 विनियम (शेयर और मीटिंग) विनियम, 2000 में संशोधन के अनुसार प्रदान किए गए, शेयरधारकों की सूची की एक प्रति शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली, बुधवार, 13 अगस्त, 2025 से शेयर धारकों द्वारा रु 5/- प्रति 1000 शब्द और उसके भाग और रु 50,000/ में (पूर्ण शेयरधारकों की सूची सिहत) पंजाब नैशनल बैंक, नई दिल्ली के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध होगी। उक्त सूची को खरीदने के इच्छुक उम्मीदवारों को एक वचन देना होगा कि चुनाव में सूची का उपयोग मतार्थना में किया जाएगा और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

13.शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण

पंजाब नैशनल बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 2000, यथासंशोधित, के विनियम 11 के अनुसार, शेयरधारकों का रिजस्टर प्रधान कार्यालय, नई दिल्ली में सभी कार्य दिवसों (दूसरे और चौथे शनिवार, रिववार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) अर्थात् सोमवार से शुक्रवार और पहले और तीसरे शनिवार को सुबह 11.00 बजे से सायं 4.00 बजे के बीच निरीक्षण के लिए शेयरधारकों के रिजस्टर से किसी भी हिस्से के सार लेने के लिए उम्मीदवारों को सक्षम करने के उद्देश्य से खुला रहेगा। अगर किसी भी शेयरधारक को चयनित/ भाग जानकारी की एक प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होगी तो उसे रु.5 प्रति 1,000 शब्द की दर से या उसके भाग पर, जो संपूर्ण शेयरधारकों की सूची सिहत,अधिकतम रु. 50,000/-(पचास हजार रुपये मात्र) के अधीन, के भुगतान पर उसे प्रदान की जाएगी।

14. चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन

एक निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार का कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि:

- I. पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 के विनियमन 65 के संदर्भ में, वह एक शेयरधारक है जिसके पास शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 जो की चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि/ कट-ऑफ तिथि निर्दिष्ट की जा रही है को बैंक के 100 (एक सौ) शेयर से कम नहीं है, तो बैठक की तारीख तक और उसके बाद यदि वह निर्वाचित होता है तो उसके कार्यकाल के अंत तक, न्यूनतम 100 शेयरों को रखना जारी रखना होता है।
- II. बुधवार 20 अगस्त, 2025 को, नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होने के नाते, वह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 या पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठक) विनियम, 2000 के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है और इसके बाद मास्टर निदेशों के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा "उपयुक्त और उचित" पाया गया है -- भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए "उपयुक्त और उचित" मानदंड) दिशा-निर्देश दिनांक 2 अगस्त, 2019, के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के लिए सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और 8 जुलाई, 2016 या ऐसे अन्य निर्देश जो समय-समय पर निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए जारी किए गए हैं।
- **III.** कम-से-कम **100 (एक सौ) शेयरधारकों** द्वारा हस्ताक्षरित वैध नामांकन लिखित रूप में है, जो अधिनियम के अंतर्गत या उनके विधिवत प्रतिनिधि द्वारा निदेशकों का चुनाव करने के लिए स्वत्वाधिकारी है, बशर्ते कि शेयरधारक द्वारा एक नामांकन जो एक कंपनी है को उक्त कंपनी के निदेशकों के एक संकल्प द्वारा बनाया जा सकता है और जहाँ ऐसा किया जाता है, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सत्य प्रति प्रमाणित करने के लिए संकल्प की एक प्रति, जिसे बुधवार, 20 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे या उससे पहले शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयर विभाग, प्लॉट नंबर 4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली -110075 में बैंक को भेजी जाएगी और इस प्रति को उस कंपनी की ओर से एक नामांकन माना जाएगा।
- IV. इस सूचना में दिए गए घोषणा पत्र के नमूना प्रारूप के अनुसार उम्मीदवार द्वारा न्यायाधीश, मिजस्ट्रेट, आश्वासन के रिजस्ट्रार या उप-रिजस्ट्रार या अन्य राजपित्रत अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के समक्ष विधिवत हस्ताक्षरित घोषणा देते हुए कि वह नामांकन स्वीकार करता है तथा वह चुनाव में खड़ा होने का इच्छुक है एवं वह निदेशक होने के लिए अधिनियम या योजना या विनियमों के तहत् योग्य नहीं है तथा उसके द्वारा धारित शेयरों का एरियर वापस नहीं माँगा गया है, वैध नामांकन दिए जाएं ।यह पृष्टि करते हुए कि ये विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं, उम्मीदवार के विधिवत हस्ताक्षरित व्यक्तिगत विवरणों (बायोडाटा) तथा उन घटनाओं के संबंध में, जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् घटित होती हैं, यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देने के साथ इसे दिया जाएगा।

V. नामांकन प्रपत्र और घोषणा पत्र का प्रोफार्मा इस सूचना में संलग्न किया गया है (प्रोफार्मा बैंक की वेबसाइट (www.pnbindia.in) पर भी उपलब्ध है।

15.नामांकन फॉर्म जमा करना

केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से बैंक निदेशक के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारक नोटिस में दिए गए प्रारूप में निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में, जिस पर पंजाब नैशनल बैंक - शेयरधारक निदेशक का चुनाव – 2025 उल्लिखित हो, व्यक्तिगत रूप से या स्पीड पोस्ट/ पंजीकृत डाक/ कूरियर के द्वारा निम्न पते पर प्रेषित किए जाएं:

" शेयर विभाग, पंजाब नैशनल बैंक, प्रधान कार्यालय, प्लॉट नं.4, सेक्टर 10, द्वारका, नई दिल्ली - 110075"

ताकि 20 अगस्त, 2025 को सायं 5.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर या उससे पहले प्राप्त हो जाए।

- विधिवत भरा हुआ घोषणा पत्र;
- चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम एक सौ शेयरधारकों से वैध नामांकन;
- संबंधित दस्तावेजों, प्रशंसापत्र के साथ नोटिस में संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और वचनपत्र जैसेकि बायोडाटा की स्वप्रमाणित प्रतियां, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अनुभव आदि।

वर्णित नामांकन प्रपत्र और अन्य दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण होने चाहिए, ऐसा न होने की स्थिति में नामांकन खारिज होने के लिए उत्तरदायी हैं।

कृपया ध्यान दें कि नामांकन फॉर्म स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक/कूरियर के माध्यम से उपर्युक्त पते के अतिरिक्त किसी अन्य पते पर या शेयर विभाग के किसी अधिकारी से पावती प्राप्त किए बिना हाथ से प्रदान किए जाते हैं तो बैंक नामांकन फॉर्म प्राप्त न होने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

16.नामांकन की जांच और निदेशक का चुनाव

- i. नामांकन की प्राप्ति के लिए नियत तिथि के बाद पहला कार्यदिवस गुरुवार, 21 अगस्त, 2025 को जोकि नामांकन प्राप्त होने की नियत तारीख का निम्नलिखित पहला कार्यदिवस है। बैंक द्वारा नामांकनों की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारणों को दर्ज करने के बाद अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ii. बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति की बैठकें वर्तमान में स्थगित हैं और बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के पत्र दिनांक 02.06.2025 के अनुसार तथा निदेशक मंडल के दिनांक 11.06.2025 के अनुमोदन से राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 14ए के अंतर्गत विशेष प्रावधान लागू किया है, जिसका वर्णन इस सूचना के पृष्ठ 23 पर पहले किया गया है।

- iii. भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वैध नामांकनों की जाँच निदेशक मंडल द्वारा की जाएगी। जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश और भारत सरकार के दिशानिर्देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध प्रकृति में समान हैं, बैंक उम्मीदवारों के "उपयुक्त और उचित" स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में सेअधिक कठोर विकल्प पर विचार कर सकते हैं।
- iv. बैंक नामांकन की जांच के समय निदेशक मंडल द्वारा परामर्श के अनुसार उम्मीदवारों से आगे की जानकारी/दस्तावेज की मांग कर सकता है।
- v. जांच के बाद, यदि रिक्ति के लिए केवल एक ही वैध नामांकन है, तो नामित उम्मीदवार को तत्काल निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड करने के पश्चात समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा। नवनिर्वाचित निदेशक बोर्ड बैठक के अगले दिन से पदभार ग्रहण करेंगे और दिनांक 05.10.2026 तक पद पर बने रहेंगे। ऐसी स्थिति में जब ईजीएम केवल एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के उद्देश्य से बुलाई गई हो, तो ईजीएम को रद्द कर दिया जाएगा।
- vi. यदि एक से अधिक वैध नामांकन हों तो उम्मीदवारों के नाम स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किए जाएंगे तथा बैंक की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, तत्पश्चात समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा ईजीएम चुनाव प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग के माध्यम से बैठक में बहुमत के वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा और उसके नाम की घोषणा की जाएगी। नवनिर्वाचित निदेशक चुनाव की तिथि के अगले दिन से पदभार ग्रहण करेंगे और दिनांक 05.10.2026 तक पद पर बने रहेंगे।

17.नामांकन वापस लेना

यदि कोई उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेना चाहता है, तो वह हस्ताक्षरित पत्र की स्कैन कॉपी शनिवार, 30 अगस्त, 2025 सायं 5.00 को या उससे पहले कंपनी सचिव, पंजाब नैशनल बैंक, शेयर विभाग, प्रधान कार्यालय, द्वारका, नई दिल्ली को संबोधित hosd@pnb.co.in पर ई-मेल कर ऐसा करने का हकदार होगा।

18.विवाद

यदि कोई विवाद है, तो वह पंजाब नैशनल बैंक (शेयरों और बैठकों) विनियम, 2000 के विनियमन 67 के अनुसार निपटाया जाएगा।

19.निदेशक का निष्कासन

शेयरधारकों का ध्यान बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) के अंतर्गत चुने गए एक निदेशक के निष्कासन हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के अधिकार पर कथित अधिनियम की धारा 9 (3बी) के लिए आमंत्रित किया जाता है, जोकि वर्णित अधिनियम की धारा 9 (3 ए) की आवश्यकताओं को पूर्ण नहीं करते हैं।

20.निदेशकों की रुचि

यदि बैंक के निदेशक चुनाव लड़ने का निर्णय लेते हैं तो उन्हें कार्य की उपरोक्त मद में अभिरुचि या रुचि रखने वाला माना जा सकता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार कृते पंजाब नैशनल बैंक

स्थान: नई दिल्ली दिनांक: 13.08.2025 हस्ता/-(बिक्रमजित सोम) कंपनी सचिव

क्र. सं.	
71	

नामांकन फॉर्म (पीएनबी विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

सेवा में,

पंजाब नैशनल बैंक

प्रवास कार्यालय, मञ्चादल्ला
प्रिय महोदय,
निदेशक का चुनाव
ईजीएम नोटिस [13.08.2025] दिनांकितके संदर्भ में, मैं, पंजाब नैशनल बैंक का एक शेयरधारक जिसके पास शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 अर्थात चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट / कट-ऑफ तिथि को रु. 2 प्रत्येक (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी शेयर हैंएतद्द्वारा श्री/श्रीमती
को गुरुवार, 4 सितंबर, 2025
को होने वाली शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 (3) (i) में यथा प्रदत्त बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने हेतु पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक के चुनाव लड़ने के लिए एतद्द्वारा नामित करता/करती हूँ।
नाम:
हस्ताक्षर:
धारित शेयरों की संख्या:
पंजीकृत फोलियो संख्या: (यदि अभौतिकीकृत नहीं है) डीपी आईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर: (यदि अभौतिकीकृत हो) स्थान: दिनांक :

टिप्पणियाँ:

- 1) यदि नामांकन एक कॉरपोरेट निकाय द्वारा किया जाता है, तो नामांकन फॉर्म के साथ निदेशक मंडल द्वारा उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के अंतर्गत पारित प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रति होनी चाहिए, जिस में यह पारित किया गया था।
- 2) उम्मीदवारों को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल खाने चाहिए।
- 3) यदि उपर्युक्त के किसी भी कॉलम को खाली छोड़ दिया जाता है या विवरण त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं, तो नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है।

उम्मीदवार द्वारा घोषणा

(पीएनबी विनियम के विनियम 65 का सन्दर्भ लें)

मैं,			पुत्र/	पुत्री/	पत्नी	श्री/
			J ,	J ,		·
	निवासी					
	एतद्द्वारा पुष्टि करता/करती हूँ:					
क.	मैं एक शेयरधारक हूँ जिसके पास ८ अगस्त, २०२५ अॉफ तिथि को बैंक के रु.२/- प्रत्येक के		इक्विर्ट	ो शेयर हैं,	और यदि	रे बैंक
	के निदेशक के रूप में चयन होता है, तो कार्यकाल के देता हूँ;					
ख.	मुझे *(i) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (ii) बैंकिंग, विधि (vii) लघु उद्योग, या सूचना प्रौद्योगिकी से संबं	धेत मामलों य	ग्र क्षेत्रों म	ों/ भुगतान	ने और नि	पटान
	प्रणाली/ मानव संसाधन/ जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय है, जिसका विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव भार्	तीय रिज़र्व बैंव	क की राय	ा में बैंक वे	ने लिए उप	ग्योगी
	होगा, और मैं बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन औ उपधारा 3A के संदर्भ में जमाकर्ताओं किसानों, श्रमिव	_ ,		•		
	हूं और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं इसके साथ सुसंगत *जो भी लागू नहीं हो उसे डिलीट करें	त विवरण, प्रर	तुत करत	ता हूं		
	में नामंत्रन संस्था			 .		

- ग. मैं नामांकन संख्या...... स्वीकार करता हूं।
- घ. मैं पंजाब नैशनल बैंक के निदेशक का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक हूं;
- इ. मैं बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, पंजाब नैशनल बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 2000 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मास्टर निर्देशों और सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक का निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं हूं।
- च. मैं न तो कोई लाभ का पद धारण करता हूं और न ही मैं किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक या धारा 3 में परिभाषित किसी सहायक बैंक भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम, 1959 का/की कर्मचारी हूं।
- छ. मैं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत अयोग्य नहीं हूं; मैं आगे घोषणा करता हूँ कि:
- ज. मुझे किसी भी समय दिवालिया घोषित नहीं किया गया है या मेरा भुगतान नहीं रोका गया है या मेरी लेनदारों से मिलीभगत नहीं रही है।
- झ. मुझे मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं पाया गया है या सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है ।
- ञ. मुझे किसी भी न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है।
- ट. मुझे किसी आपराधिक न्यायालय द्वारा किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधमता या अन्यथा शामिल हो

- ठ. मुझे किसी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है;
- ड. निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान तथा इसके पश्चात् दो वर्षों की अवधि के लिए बैंक के साथ मेरा कोई पेशेवर संबंध नहीं होगा।
- ढ. मैं किसी बैंक या रिजर्व बैंक या किसी वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक में एनओएफएचसी धारक बोर्ड का सदस्य नहीं हूं;
- ण. मैं किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार देने, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से सम्बद्ध हुआ नहीं हूँ ।
- त. मैंने किसी बैंक/वित्तीय संस्थान/आरबीआई/बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में किसी भी श्रेणी के अंतर्गत लगातार या अनिरंतर रूप से छः वर्षों के लिए निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है।
- थ. मैं स्टॉक ब्रोकिंग के कारोबार में नहीं लगा हूं।
- द. मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि) के सदस्य के पद पर नहीं हूँ।
- ध. मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ, जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत हैं ;
- न. मैं ऐसे चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूँ जो वर्तमान में ऐसे बैंक के सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षक या समवर्ती लेखा-परीक्षक के रूप में संलग्न है, जिसमें चुनाव हेतु नामांकन दाखिल किया गया है।
- न. मेरा पंजाब नैशनल बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) है और न ही उसे ऐसी गतिविधियों में संलग्न हूँ जिसके परिणामस्वरूप पंजाब नैशनल बैंक के साथ व्यापारिक हित हो सकते हैं।
- प. मेरा किसी बैंक या किसी भी अन्य बैंक द्वारा धारण किए जाने वाले एनओएफएचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं है, यदि कोई संबंध होता है तो निर्वाचित होने पर निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण करने से पूर्व संबंध समाप्त कर लूंगा।
- फ. मैं वचन देता हूँ कि किसी भी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण/एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूँ तथा मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का चूककर्ता नहीं हूँ ।
- ब. मैं वचन देता हूँ कि मैं निदेशक का पद ग्रहण करने से पूर्व (दिनांक 02.08.2019 के भारतीय रिज़र्व बैंक के मास्टर निदेशों के अनुरूप निर्धारित प्रारूप में) में प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ;
- भ. मैं उन घटनाओं के संबंध में यथाशीघ्र बैंक को पूरी जानकारी प्रदान करने का वचन देता हूँ जो प्रदान की गई जानकारी से संबंधित घोषणा पत्र देने के पश्चात् होती हैं तथा मैं प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने का वचन देता हूँ।
- म. मैं यदि निर्वाचित होता हूँ, तो जब तक बैंक के निदेशक के पद पर रहूंगा तब तक सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, यथा संशोधित के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूँ।

एए. मैं अन्य कंपनियों/बैंकों/अन्य संस्थाओं में अपने वर्तमान और पिछले निदेशक पद का विवरण निम्नानुसार दे रहा हूँ; और

कंपनी, बैंक, अन्य संस्थाओं के नाम	निदेशक विवरण यथा कार्यकाल, निर्देशन का स्वरुप, अवधि आदि।

(यदि आवश्यक हो तो अतिरिक्त पंक्तियाँ/शीट जोड़ें)

बीबी. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और पूर्ण हैं;

	ति है जो नर सान जार विवास से संस्थ
नाम	
हस्ताक्षर	
धारित शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो नं.	
(यदि अभौतिकीकृत नहीं है)	
डीपी आईडी नंबर और क्लाइंट आईडी नंबर	
(यदि अभौतिकीकृत हो)	
स्थान	
दिनांक	

उपर्युक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किए गए थे।

न्यायधीश, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के कोई अधिकारी की मुहर सहित हस्ताक्षर।

बैंक का नाम: पंजाब नैशनल बैंक

प्रस्तावित निदेशक द्वारा घोषणा और वचनबंध (उपयुक्त संलग्नकों सहित)

पासपोर्ट आकार का फोटो यहां चिपकाएं

उम्मीदवा	र द्वारा 2025 तक उचित अनुलग्न	कों के साथ घोषणा अ	रि वचन पत्र		
क्र.सं.	विवरण	प्रक	ट की गई जान	नकारी	
मैं	व्यक्तिगत विवरण				
1.	पूरा नाम	प्रथम नाम	मध्य नाम	उपनाम	
2	पिता का नाम				
2.		T		1 0 . 0 . 1	
3.	लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	Į Ų	ससी/एसटी/अ	<u>।बासा</u>	
4.	वर्तमान पता				
	0				
5.	स्थायी पता				
6.	ई-मेल पता एवं वैकल्पिक ई-मेल पता:				
•	एसटीडी कोड सहित टेलीफोन नंबर:				
	मोबाइल नंबर:				
7.	राष्ट्रीयता				
8.	*	//	आयु: वर्ष	माह दिन	
	, , ,	, ,	3	,	
9.	शैक्षिक योग्यता				
10.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)				

11.	आधार संख्या (वैकल्पिक)	
12.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन)	
	(बी) प्रभार जहां प्रस्तावित निदेशक का	फ़ाइल करने की भुगतान किए गए कर की
	क्र मूल्यांकन किया जाता है (आयकर्	तिथि राशि (INR)
	क्षेत्राधिकार्) / आयकर सर्कल / वार्ड	IXII 4 XIIXI (IIVIV)
	का नाम और पता	
	(सी) पिछले ३ वर्षों के रिटर्न फ़ाइल	
	क्रने और करों के भुगतान का	
	विवरण	
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था,	
	बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त,	
	विधि, लघु उद्योग, या एक या अधिक	
	मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या	
	अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में	
	विवरण सूचना प्रौद्योगिकी/ भुगतान एवं	
	निपटान प्रणाली/ मानव संसाधन/	
	जोखिम प्रबंधन/ व्यवसाय प्रबंधन से	
	संबंधित मामले या किसी अन्य मामले के	
	संबंध में <i>प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव</i> पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण,	
	एक सावप्त लख क रूप म ।ववरण, जिनका भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में	
	विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव	
	बैंक के लिए उपयोगी होंगे।	
14.		
14.	नाम और अनुभव पर संक्षिप्त आलेख)	
15.	न्यूनतम दस वर्षों को कवर करने वाला	
13.	पिछला व्यवसाय, जिसमें कार्य किये गए	
	संगठनों का पूरा पता, नियुक्ति की तिथि,	
	कार्यमुक्ति की तिथि (कारणों सहित),	
	पदनाम, आदि शामिल हों।	
16.	सनदी लेखाकार के मामले में,	
	निम्नलिखित को इंगित करें:	
	(क) भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान	
	(ICAI) की सदस्यता संख्या:	
	(ख) भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान	
	(ICAI)में पंजीकरण की तिथि:	
	(ग) पंजीकृत फर्म/ फर्मों का नाम और	
	पताः	

	(घ) वर्तमान में फर्म (फर्मों) या आपके द्वारा किए गए लेखापरीक्षा (ओं) का विवरण:					
17.	शाखा और खाता संख्या (बचत/चालू/ऋण खाते) के साथ उस बैंकर का नाम, जहां आप प्राथमिक खाताधारक हैं:	बैंक नाम	का	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
18.	आपके द्वारा, जीवनसाथी द्वारा और आपके अवयस्क बच्चे द्वारा यदि भौतिक या अमूर्त रूप में किसी भी प्रकार से रखी गई शेयरहोल्डिंग का विवरण। (डीमैट / शेयरहोल्डिंग प्रमाणपत्र संलग्न करें)					
19.	बैंक के निदेशक पद से संबंधित कोई अन्य जानकारी					
П	प्रस्तावित निदेशक के प्रासंगिक संबंध					
1.	बैंक से संबद्ध रिश्तेदारों की सूची, यदि कोई हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (77) तथा कंपनी नियम 4 (परिभाषाओं के विनिर्दिष्ट विवरण) नियम, 2014)					
2.	क) संस्थाओं की सूची, यदि कोई हो, जिसमें आप रुचि रखते हैं (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें) बैंकों / एनबीएफसी / कंपनियों / निगमित निकायों / फर्मों / व्यक्तियों के संघ आदि के नामों का अलग-अलग उल्लेख किया जाना चाहिए। ख) उन संस्थाओं की सूची, जिनमें आप लाभकारी स्वामित्व रखते हैं [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 और साथ ही लागू एमसीए के महत्वपूर्ण लाभकारी स्वामित्व नियमों का सन्दर्भ लें] ग) ट्रस्टों की सूची जिसमें आपके पास ट्रस्टी का पद है (ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):					
3.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची, जिनमें आप बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 5 (एनई) "पर्याप्त हित"के अनुसार <i>पर्याप्त हित</i>	इसवे		र्व का नाम मन का देश ांख्या		

	1 	
	रखते हैं। (i) किसी व्यक्ति या उसके	प्रत्येक शेयर का अंकित मूल्य
	जीवनसाथी या अवयस्क बच्चे द्वारा,	धारित शेयर का कुल अंकित
	उसके शेयर में, चाहे अकेले या	मूल्य
	सामूहिक रूप से कोई लाभदायक	कुल चुकता पूंजी के % के रूप में शेयरधारिता
	हित रखना है, जिसपर भुगतान की	लाभकारी हित (मूल्य के
	। गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी से दो	साथ-साथ % के संदर्भ में)
	करोड़ रुपये या दस प्रतिशत से	क्या इकाई कंपनी
	अधिक हो, जो भी कम हो; (ii) एक	अधिनियमं, 2013 के अंतर्गत
	फर्म के संबंध में, तात्पर्य है कि किसी	धारा ८ कंपनी है
	व्यक्ति या उसके जीवनसाथी या	
	अव्यस्क बच्चे द्वारा चाहे अकेले या	
	सामूहिक रूप से कोई लाभकारी हित	
	रखना, जो उक्त फर्म के सभी	
	भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी का	
	दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व	
	करता है।	
4.	विदेशों में निगमित और भारत में	
	कारोबार करने वाली संस्थाओं में	
	धारिताओं का विवरण।	
5.	बैंक/एनबीएफसी/किसी अन्य कंपनी का	
	नाम जिसमें वर्तमान में या अतीत में आप	
	बोर्ड/सलाहकार आदि के सदस्य रहे हैं (उस अवधि का विवरण दें जिसके दौरान	
	ऐसा पदभार रहा हो/रहा था)	
6.	यदि किसी ऐसी संस्था, से जुड़ें हों जो	
0.	खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टे पर देने	
	और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियां करती	
	हों (संगठ्न के स्वरुप का उल्लेख किया	
	जाना चाहिए), तो उसका विवरण दें।	
7.	यदि किसी स्टॉक ब्रोकर या किसी ऐसी	
	संस्था से संबद्ध हों जो शेयर ब्रोकिंग	
	गतिविधियों, में संलिप्त हों, उनका विवरण दें।	
8.	विवरण द। निधि और गैर-निधि-आधारित सुविधाओं	
0.	का विवरण, यदि कोई हो, जिनका आपने	
	व्यक्तिगत रूप से तथा/ या उक्त मद सं०	

	॥ (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं द्वारा उपभोग किया गया हो।	
9.	ऐसे मामले, यदि कोई हों, जहां एक व्यक्तिगत रूप से, आप, या ऊपर बिंदु॥ (2) से (7) में सूचीबद्ध संस्थाओं ने बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त क्रेडिट सुविधाओं के संबंध में अतीत में चूक की है या इरादतन चूककर्ता घोषित किया है।	
Ш	व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड	
1.	निदेशक पद के लिए सुसंगत पेशेवर उपलब्धियाँ।	
IV	प्रस्तावित निदेशक पर कार्यवाही, यदि कोई हो	
1.	क) एक पेशेवर संघ/निकाय के सदस्य के रूप में, अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण, यदि कोई हो, लंबित या शुरू की गई या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में दोषसिद्धि हुई हो या क्या किसी भी समय किसी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया हो, तो उसका विवरण।	
	ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों के संबंध में कोई लिखित शिकायत या आरोप है, तो उसका विवरण।	
2.	अभियोजन के विवरण, यदि कोई हो,लंबित या शुरू किया गया या जिसके परिणामस्वरूप अतीत में स्वयं को/ और या आर्थिक कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए उपरोक्त बिंदु॥ (2) से(7) में सूचीबद्ध किसी भी संस्था के विरुद्ध दोषी ठहराया गया हो।	

3.	आपराधिक अभियोजन के विवरण, यदि	
	कोई हो, लंबित या शुरू या जिसके	
	परिणामस्वरुप दोषी ठहराए गए।	
4.	यदि एएमएल/सीएफटी दिशानिर्देशों के	
	किसी भी उल्लंघन में लिप्त है, तो उसका	
	विवरण।	
5.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा	
	164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी	
	अयोग्यता को आकर्षित किया जाता है,	
	तो उसका विवरण।	
6.	यदि दिवालिया घोषित कर दिया गया है	
	या भुगतान निलंबित किया गया है या	
	लेनदारों के साथ समझौता किया गया है,	
	तो उसका विवरण।	
7.	यदि कोई विकृत मस्तिष्क का पाया जाता	
	है और एक सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित	
	किया जाता है, तो उसका विवरण	
8.	(क) यदि आपराधिक न्यायालय द्वारा	
	किसी ऐसे अपराध का दोषी ठहराया गया	
	है जिसमें नैतिक क्रूरता या अन्यथा	
	शामिल है, तो उसका विवरण.	
	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी	
	ठहराया गया है, तो उसका विवरण.	
9.	एक पूर्णकालिक निदेशक का पद धारण	
	करने के अलावा यदि किसी भी	
	राष्ट्रीयकृत् बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के	
	त्हत् कोई भी लाभ का पद धारण करते	
	हैं, तो उसका विवरण।	
10.	यदि किसी व्यक्ति या ऊपर बिंदु सं०॥	
	(2) से (7) में किसी भी संस्था के रूप में,	
	पूर्व नियोक्ता या सरकारी विभागों या	
	एजेंसी से किसी भी जांच /	
	स्तर्कता/मामलों की जांच के अधीन हैं,	
	तो उसका विवरण।	
11.	यदि सीमा शुल्क/उत्पाद	
	शुल्क/आयक्रर/विदेशी विनिमय/अन्य	
	राजस्व प्राधिकरण की अपेक्षानुरूप	
	नियमों/विनियमों/संवैधानिक	
	आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी	
	पाया गया है, तो उसका विवरण	

12.	यदि किसी भी विनियामक जैसे सेबी,	
12.	आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि,	
	पेशेवर संगठन, सरकारी एजेंसी, या	
	न्यायालय द्वारा किसी पेशेवर आचरण या	
	गतिविधियों के कारण निंदा की गई,	
	फटकार लगाई गई, प्रतिबंधित, निलंबित,	
	बाधित, रोक लगाई गई हो, या अन्यथा	
	मंजूरी दी गई हो, तो उसका विवरण।	
	(यद्यपि उम्मीदवार के लिए ऐसे आदेशों	
	और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख	
	करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में	
	पूर्ण रूप से बदल दिए गए हों/ पूर्णतया	
	रद्द कर दिए गए हों, परन्तु इन्हें ऐसी	
	स्थिति में वर्णित करना आवश्यक होगा	
	जहाँ तकनीकी कारणों जैसे अधिकार	
	क्षेत्र की कमी या सीमित होने के कारण	
	बदला/ रद्द किया गया हो न कि योग्यता	
	के आधार पर।यदि कोई आदेश अस्थायी	
	रूप से रोका गया है तथा अपीलीय	
	न्यायालय की कार्रवाई लंबित है, तो	
	उसका भी वर्णन किया जाना चाहिए	
V	सामान्य जानकारी	
1.	यदि सनदी लेखाकार, वकील आदि जैसे	
	पेशेवर और किसी भी बैंक में वर्तमान में	
	कोई पेशेवर कार्य कर रहे / करते हैं, तो	
	बैंक के नाम और बैंक के साथ संबंध की	
	अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
2.	यदि कोई सांसद / एमएलए / एमएलसी	
	या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य	
	स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद	
\/!	धारक है, तो उसका विवरण प्रदान करें। प्रकटीकरण और पारदर्शिता के हित	
VI	में, यदि कोई अन्य सूचना, जो	
	"उपयुक्त और उचित" का मूल्यांकन	
	करने के लिए सुसंगत हो तो उसका	
	विवरण प्रदान करें।	
		बंध पत्र
3. 6	<u>441</u>	<u> </u>

में पुष्टि करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचना मेरी जानकारी एवं विश्वास में सत्य एवं पूर्ण है।मैं बैंक को उन घटनाओं के संबंध में पूरी जानकारी यथाशीघ्र प्रदान करने का वचन देता/देती हूँ जो मेरी नियुक्ति के पश्चात् घटित होती हैं जो उपरोक्त प्रदान की गई जानकारी के लिए प्रासंगिक हैं।

बैंक के साथ निष्पादित किये	जाने वाले प्रसंविदा विलेख के नि	ष्पादन का भी वचन देता हूँ ।
स्थान: दिनांक:	उम्मीदवाः	र के हस्ताक्षर
संलग्नक:		
टिप्पणी:		
जहां भी स्थान पर्याप्त नहीं है, कृपया	कालानुक्रमिक क्रम में और उपर्	युक्त प्रति संदर्भ सहित अनुलग्नक के
रूप में जानकारी संलग्न करें।		
प्रत्येक पृष्ठ (अनुलग्नकों सहित) उम्मी	दिवार द्वारा हस्ताक्षरित होना आव	ा श्यक है।
ξ		•
स्थान :		
दिनांक:		
निदेशक मण्डल की टिप्पणियां		
जो इस बात से संतुष्ट हैं कि		
उपर्युक्त जानकारी सत्य और		
पूर्ण है।		
स्थान :		बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर
दिनांक :		



Head Office: Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi – 110075 (E-mail id: hosd@pnb.co.in)

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Punjab National Bank (hereinafter referred to as the "Bank") will be held on **Thursday**, **4**th **September**, **2025 at 11.00 A.M**. **(IST) through Video Conferencing (VC)/Other Audio Visual Means (OAVM)** to transact the following business:

Item No.1: To elect ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank, other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received in terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as the "Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "Banking Regulation Act"), the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as the "Scheme"), the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 (hereinafter referred to as "PNB Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act, SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations") and RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs issued vide Notification No. DBR.Appt.No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 2, 2019 (hereinafter referred to as "RBI Master Directions" and further amendments thereto, if any) read with Guidelines dated March 25, 2015 and dated July 8, 2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors in Public Sector Banks (hereinafter referred to as "GOI Guidelines" and further amendments thereto, if any) to fill in the vacancy caused by the resignation of a Shareholder Director of the Bank and the elected Director shall hold office from the day next to the date of election till 05.10.2026, the day upto which the erstwhile Shareholder Director would have held office as a Shareholder Director and pass the following resolution:-

"RESOLVED THAT one applicant shareholder elected from amongst Shareholders other than the Central Government pursuant to Section 9(3)(i) of the Act read with relevant Scheme, Banking Regulation Act, PNB Regulations, RBI Master Directions and GOI Guidelines, be and is hereby **appointed** as the Director on the Board of the Bank to assume office from the day next to the date of election and to hold office upto 05.10.2026."

The aforesaid Resolution shall also be considered to be under the provisions of Regulation 25 (2A) of SEBI Listing Regulations.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

Place: New Delhi Date: 13.08.2025 Sd/-(Bikramjit Shom) Company Secretary

NOTES:

Extraordinary General Meeting through Video Conferencing (VC)/Other Audio-Visual Means (OAVM)

The Ministry of Corporate Affairs (MCA), has vide General Circular No. 09/2024 dated 19th September 2024 read with its preceding circulars issued in September 2023, December 2022, May 2022 & May 2020 permitted the companies, to conduct their EGMs through VC or OAVM upto 30th September 2025 in accordance with the framework provided in the MCA Circular(s). SEBI has also vide its Circular dated 3rd October, 2024 further extended the relaxation with respect to sending proxy forms to the shareholders in respect of General Meetings till 30th September, 2025.

In accordance with the aforesaid Guidelines and the provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 & the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank is being conducted through VC/OAVM which does not require physical presence of the shareholders at a common venue. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Regulation 58 of Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000. The deemed venue for the EGM shall be the Head Office of the Bank.

The facility for participation in the EGM through VC/OAVM, voting through remote evoting and e-voting during the EGM, will be provided by **National Securities Depository Limited (NSDL).**

Shareholders may join the EGM through VC/OAVM facility, by following the procedure as mentioned in this Notice, which shall be kept open for the shareholders on 4th September, 2025 from 10:30 a.m. i.e., 30 minutes before the time scheduled to start the EGM. The Bank/NSDL may close the window for joining the VC/OAVM facility 30 minutes after the scheduled start time.

Shareholders may please note that the VC/OAVM facility, provided by NSDL, allows participation of at least 1,000 shareholders on a 'first-come, first-serve' basis. The shareholders holding 2% or more of the share capital of the Bank, Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders Relationship Committee, Auditors, etc. can attend the EGM without any restriction on account of 'first-come, first-serve' basis.

2. The relevant Explanatory Statement setting out material facts in respect of the agenda Item as set out in this Notice, is annexed hereto.

3. Appointment of Proxy:

A shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is entitled to appoint a proxy to attend and vote instead of himself/herself and such a proxy need not be a

shareholder of the Bank. Pursuant to the aforesaid MCA & SEBI Circulars, as the physical attendance of the Shareholders has been dispensed with, there is no requirement of appointment of proxies. Accordingly, the facility of appointment of proxies by shareholders will not be available for the EGM and therefore, the instrument for appointing proxy and attendance slip are not being annexed to the Notice.

4. Appointment of an Authorised Representative:

No person shall be entitled to attend the EGM through VC / OAVM and/or vote through e-voting as duly authorized representative of a body corporate, unless a certified true copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, is submitted to the Bank in hard copy addressed to 'Share Department, Punjab National Bank, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi 110075' or through email at hosd@pnb.co.in OR to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com and hosd@pnb.co.in, not less than four days before the date of the meeting, i.e., on or before the closing hours, i.e., 5.00 p.m. of Saturday, 30th August, 2025.

No officer or employee of the Bank shall be appointed as Authorised Representative of a shareholder.

5. Specified/Cut-Off Date:

The Specified/Cut-Off Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to **Nominate**, **Contest**, **Attend the meeting and Vote** for the Election of ONE Director from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, was **Friday**, 8th **August**, 2025.

6. Voting Rights

In terms of provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (as amended), no shareholder of the Bank other than Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of the shares held by him in excess of 10% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank. If any share stands in the name of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof.

In terms of Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through electronic means.

7. Voting through Electronic Means

I. Pursuant to Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations, 2015 and provisions under Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, read with MCA Circulars, the Bank is pleased to provide its shareholders the facility to exercise their right to vote in respect of the business to be transacted at the EGM by electronic means (remote e-voting and e-voting).

during the EGM) through the e-voting platform provided by National Securities Depository Limited (NSDL).

- II. Those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the resolution through remote e-voting, shall be eligible to vote through e-voting system during the EGM.
- III. The shareholders who have cast their vote by remote e-voting prior to the EGM may also attend the meeting through VC/OAVM but shall not be entitled to cast their vote again.
- IV. The instructions for remote e-voting are as under:
 - a. The remote e-voting period begins at 9.00 a.m. on Monday, 1st September, 2025 and ends at 5.00 p.m. on Wednesday, 3rd September, 2025. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. During this period, shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date(s) may cast their vote electronically. The Shareholders may also cast their votes electronically during the EGM on Thursday, 4th September, 2025 upto 30 minutes post conclusion of the same.
 - b. The details of the process and manner for remote e-voting are explained herein below.

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are as follows:

Step 1: Access to NSDL e-Voting system

A) Login method for e-Voting and joining the virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode.

In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020 on 'e-Voting facility provided by Listed Companies', Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are advised to update their mobile numbers and email Ids in their demat accounts in order to access e-Voting facility.

The login method for individual shareholders holding securities in demat mode is given below:

	_	Method						
shareholders								
Individual	1.	For	OTP	based	login	you	can	click
Shareholders		on https	://eserv	ices.nsdl.com	/SecureWe	eb/evoting	/evotinglo	gin.jsp.
holding		You will	have to	enter your 8-	digit DP IE),8-digit C	lient Id, P	AN No.,

securities in demat mode with NSDL.

- Verification code and generate OTP. Enter the OTP received on registered email id/mobile number and click on login. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank's name or **e-Voting service provider i.e. NSDL** and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
- 2. Existing IDeAS user can visit the e-Services website of NSDL Viz. https://eservices.nsdl.com either on a Personal Computer or on a mobile. On the e-Services home page click on the "Beneficial Owner" icon under "Login" which is available under 'IDeAS' section, this will prompt you to enter your existing User ID and Password. After successful authentication, you will be able to see e-Voting services under Value added services. Click on "Access to e-Voting" under e-Voting services and you will be able to see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be re-directed to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.
- If you are not registered for IDeAS e-Services, option to register is available at https://eservices.nsdl.com. Select "Register Online for IDeAS Portal" or click at https://eservices.nsdl.com/SecureWeb/IdeasDirectReg.jsp
- 4. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section. A new screen will open. You will have to enter your User ID (i.e. your sixteen-digit demat account number hold with NSDL), Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen. After successful authentication, you will be redirected to NSDL Depository site wherein you can see e-Voting page. Click on Bank name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

 Shareholders/Members can also download NSDL Mobile App "NSDL Speede" facility by scanning the QR code mentioned below for seamless voting experience.



Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL

- Users who have opted for CDSL Easi / Easiest facility, can login through their existing user id and password. Option will be made available to reach e-Voting page without any further authentication. The users to login Easi /Easiest are requested to visit CDSL website www.cdslindia.com and click on login icon & New System Myeasi Tab and then use your existing my easi username & password.
- 2. After successful login the Easi / Easiest user will be able to see the e-Voting option for eligible companies where the evoting is in progress as per the information provided by company. On clicking the e-Voting option, the user will be able to see e-Voting page of the e-Voting service provider for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting. Additionally, there are also links provided to access the system of all e-Voting Service Providers, so that the user can visit the e-Voting service providers' website directly.
- 3. If the user is not registered for Easi/Easiest, option to register is available at CDSL website www.cdslindia.com and click on login & New System Myeasi Tab and then click on registration option.
- 4. Alternatively, the user can directly access e-Voting page by providing Demat Account Number and PAN No. from an e-Voting link available on www.cdslindia.com home page. The system will authenticate the user by sending OTP on registered Mobile & Email as recorded in the Demat Account. After successful authentication, user will be able to see the e-Voting option where the e-Voting is in progress and able to directly access the system of all e-Voting Service Providers.

Individual
Shareholders
(holding
securities in
demat mode)
login through
their
depository
participants

You can also login using the login credentials of your demat account through your Depository Participant registered with NSDL/CDSL for e-Voting facility. Upon logging in, you will be able to see e-Voting option. Click on e-Voting option, you will be redirected to NSDL/CDSL Depository site after successful authentication, wherein you can see e-Voting feature. Click on Bank's name or e-Voting service provider i.e. NSDL and you will be redirected to e-Voting website of NSDL for casting your vote during the remote e-Voting period or joining virtual meeting & voting during the meeting.

Important note: Shareholders who are unable to retrieve User ID/Password are advised to use Forget User ID and Forget Password option available at abovementioned websites.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login through Depository i.e. NSDL and CDSL.

Login type	Helpdesk details
Individual Shareholders holding securities in demat mode with NSDL	Shareholders facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by sending a request at evoting@nsdl.com or call at 022 - 4886 7000
Individual Shareholders holding securities in demat mode with CDSL	Shareholders facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at toll free no. 1800-21-09911

B) Login Method for shareholders other than Individual shareholders holding securities in demat mode and shareholders holding securities in physical mode.

Steps to Log-in to NSDL e-Voting website

- 1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
- 2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholder/Member' section.
- 3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password/OTP and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below:

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	Your User ID is:
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example, if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12*****.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example, if your Beneficiary ID is 12********** then your user ID is 12************************************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the Bank. For example, if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

- 5. Password details for shareholders other than Individual shareholders are given below:
 - a) If you are already registered for e-Voting, then you can user your existing password to login and cast your vote.
 - b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password', and the system will force you to change your password.
 - c) How to retrieve your 'initial password'?
 - (i) If your email ID is registered in your demat account or with the Bank, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8-digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number

- for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.
- (ii) If your email ID is not registered, please follow steps mentioned below in process for those shareholders whose email ids are not registered.
- 6. If you are unable to retrieve or have not received the "Initial password" or have forgotten your password:
 - a) Click on "Forgot User Details/Password?" (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.
 - b) <u>Physical User Reset Password?</u>" (If you are holding shares in physical mode) option available on <u>www.evoting.nsdl.com</u>.
 - c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at <u>evoting@nsdl.com</u> mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address etc.
 - d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.
- 7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.
- 8. Now, you will have to click on "Login" button.
- 9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

Step 2: Cast your vote electronically and join the EGM on NSDL e-Voting system

- After successful login at Step 1, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle and General Meeting is in 'active' status.
- 2. Select "EVEN" of Punjab National Bank for which you wish to cast your vote during the remote e-Voting period and casting your vote during the General Meeting. For joining the EGM virtually, you need to click on "VC/OAVM" link placed under "Join Meeting".
- 3. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
- 4. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/ modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.

- 5. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
- 6. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
- 7. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

- 1. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to sachincs2022@gmail.com with a copy marked to evoting@nsdl.com. Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) can also upload their Board Resolution/Authority Letter, etc. by clicking on "Upload Board Resolution/Authority Letter" displayed under "e-Voting" tab in their login.
- 2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

In case of any queries, shareholders may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on.: 022-48867000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager, National Securities Depository Ltd., 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra - 400051 at the designated email address: evoting@nsdl.com or at telephone no. 022- 48867000

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolution set out in this Notice:

- 1. In case shares are held in physical mode, please provide folio no., name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR card by email to the Bank's Share Transfer Agent (STA) at beetalrta@gmail.com.
- 2. In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID+CLID or 16 digit Beneficiary ID), name, client master or copy of

consolidated account statement, self-attested scanned copy of PAN card and AADHAR Card) to the Bank's STA at beetalrta@gmail.com. If you are an Individual shareholder, holding securities in demat mode, you are requested to refer to the login method explained at Step 1 (A) i.e. "Login method for e-Voting and joining virtual meeting for Individual shareholders holding securities in demat mode".

- 3. Alternatively, shareholders may send a request to evoting@nsdl.com for procuring user id and password for e-voting by providing the abovementioned documents.
- 4. In terms of SEBI circular dated December 9, 2020 on e-Voting facility provided by Listed Companies, Individual shareholders holding securities in demat mode are allowed to vote through their demat account maintained with Depositories and Depository Participants. Shareholders are required to update their mobile number and email ID correctly in their demat account in order to access e-Voting facility.

Instructions for shareholders for E-Voting on the day of EGM are as under:

- 1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is the same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
- 2. Only those shareholders, who will be present in the EGM through VC/OAVM facility and have not cast their vote on the Resolution(s) through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the EGM.
- 3. Shareholders who have voted through remote e-voting will be eligible to attend the EGM, however, they will not be eligible to vote at the EGM.
- 4. The details of the persons who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-voting on the day of the EGM shall be the same as mentioned for remote e-voting.

Instructions for shareholders for attending the EGM through VC/OAVM are as under:

1. Shareholders will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Shareholders may access by following the steps mentioned above for Access to NSDL e-Voting system. After successful login, you can see link of "VC/OAVM link" placed under "Join Meeting" menu against the name of the Bank. You are requested to click on VC/OAVM link placed under 'Join Meeting' menu. The link for VC/OAVM will be available in 'Shareholder/Member login' where the EVEN of Bank will be displayed. Please note that the Shareholders who do not have the User ID and Password for e-Voting

or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the Notice to avoid last minute rush.

- 2. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.
- 3. Further, shareholders should have internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting. Please note that the participants connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 4. Shareholders can submit questions with regard to the business to be transacted at the EGM from their registered email address, mentioning their name, DP ID and Client ID number/folio number and mobile number, to the Bank's email id at hosd@pnb.co.in in advance from 10.00 a.m. of 14th August, 2025 to 5.00 p.m. of 18th August 2025. Shareholders who will participate in the EGM through VC/OAVM can also pose question/feedback through question box option. Such questions by the Shareholders shall be taken up during the meeting or suitably replied to by the Bank, later.
- 5. Institutional Investors, who are shareholders of the Bank, are requested to be present in the EGM through VC/OAVM Facility.

8. Scrutinizer

M/s Agarwal S. & Associates, Company Secretaries, has been appointed as the Scrutinizer by the Bank to scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner.

The Scrutinizer shall submit a consolidated Scrutinizer's Report on the total votes cast to the Chairman of the Meeting upon conclusion of the EGM and thereafter, the Bank shall declare the result of the voting forthwith by placing the Results along with the Scrutinizer's Report on the website of Stock Exchanges, NSDL and the Bank.

9. Other Information

- a) Pursuant to the SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/133 dated 3rd October, 2024 read with its preceding Circulars and the MCA General Circular No. 09/2024 dated 19th September, 2024 read with its preceding Circulars, the Notice of the Extraordinary General Meeting (EGM) of the Bank, inter alia, indicating the process and manner of e-voting etc. is being sent only in electronic mode to all the shareholders whose email IDs are registered with the Bank's STA/Depository Participant(s).
- b) Shareholders may also note that the Notice of EGM is also being made available on the Bank's website www.pnbindia.in, websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and

- <u>www.nseindia.com</u> respectively, and on the website of NSDL i.e. www.evoting.nsdl.com.
- c) In consonance with the 'Green Initiatives' undertaken by the Bank, shareholders holding shares in physical form are requested to get their email ids registered with the Bank's STA in case of shares held in physical form and Depository Participant in case of shares held in electronic form.
- d) In case of changes, if any, pertaining to name, postal address, email address, telephone/mobile number, Permanent Account Number (PAN), mandates, nominations, bank details such as, name of the bank and branch details, bank account number, MICR code, IFSC code, etc., the shareholders may get the same updated with the Bank's STA, in case of shares held in physical form, and with their respective Depository Participant(s), in case of shares held in electronic form.
- e) Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the STA for consolidation into a single folio.
- f) Dematerialization of Physical Holdings: As per Regulation 40 of SEBI Listing Regulations, as amended, all requests for transfer of securities including transmission and transposition requests shall be processed only in dematerialized form. In view of the same and to eliminate all risks associated with physical shares and to avail various benefits of dematerialisation, Shareholders are advised to dematerialise the shares held by them in physical form. Shareholders can contact the Bank or Bank's STA for assistance in this regard.
- g) The process of dematerialisation of shares is available on the Bank's website i.e. https://www.pnbindia.in/ under 'Investor Info'.

Explanatory Statement

Item No.1: Election of One Shareholder Director

Pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Board of Directors shall include Directors elected by their Shareholders (other than Central Government) in the General Meeting. The number of such directors to be elected by Shareholders shall be as given hereunder:

- One Director, where public shareholding is not more than sixteen per cent of the total paid-up capital;
- Two Directors where public shareholding is more than sixteen per cent but not more than thirty-two per cent of the total paid-up capital;
- Three directors where public shareholding is more than thirty-two per cent of the total paid-up capital

As the public shareholding in the Bank is 29.92%, Shareholders other than the Central Government are entitled to elect two Directors on the Board of the Bank.

The Bank, till 06.06.2025 was having two Directors elected by the Shareholders on its Board namely, Shri Jatinder Singh Bajaj and Shri Ambarish Ojha who assumed office on 06.10.2023 and 12.09.2024, respectively.

In terms of RBI's letters dated 13.05.2025 and 02.06.2025 to the Bank, serving employees of Life Insurance Corporation of India are considered as being connected with para banking activities and thus are not qualified to be on the Board of Public Sector Banks as Shareholder Director in terms of para 4.3(iv)(b) of Master Direction-Reserve Bank of India ('Fit & Proper' Criteria for Elected Directors on the Board of PSBs) Directions, 2019 dated August 2, 2019.

Accordingly, Shri Jatinder Singh Bajaj, Zonal Manager in Charge, Northern Zone of Life Insurance Corporation (LIC) of India submitted his resignation on 05.06.2025 and on acceptance of the Board ceased to be a Director on the Bank's Board w.e.f. 06.06.2025.

Therefore, Election of One Shareholder Director is being conducted to fill in the vacancy caused by the resignation of a Shareholder Director of the Bank and the elected Director shall hold office from the day next to the date of election till 05.10.2026, the day upto which the erstwhile Shareholder Director would have held office.

The shareholders (other than the Central Government) are entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/Scheme/Regulations/ Notification/Guidelines.

1. Legal Provisions

The relevant extracts / portions of the relevant Act/Scheme/Regulations/Notifications/Guidelines have been reproduced hereunder:

Act/Scheme/Regulations/ Notifications	Provisions	Short Particulars
The Banking Regulation Act, 1949	Section 5 (ne) Section 16 (1) Section 20	 Substantial Interest Prohibition of Common Directors Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 3 (2E) Section 9(3)(i) Section 9(3A) (A) to (C)	 Restriction on voting rights No. of Directors to be elected by the shareholders Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) and Section 9(3AB)	No person shall be eligible to be elected as Director unless he is a person having 'fit and proper' status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B) Section 13(2)	 Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act. Obligation as to fidelity and
The Nationalised Banks	Clause 9(4)	secrecyTerm of office of elected
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970	Clause 10	directors Disqualifications from being elected as a Director or being a Director of the Bank
	Clause 11 Clause 11A	 Vacation of office of Director Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	 Filling of vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	 Disclosure of interest by directors in certain

	Clause 14A	arrangements in which they are interested. Special Provision- Exercise of power of any Committee ,by the Board, in case of unavailability of quorum of such Committee
Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000	Regulation 10 Regulation 61 Regulation 63 Regulation 64 Regulation 65 Regulation 66 Regulation 67 Regulation 68 Regulation 68	 Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative
RBI ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 - DBR.Appt.No:9/29.67.001/2019 -20 dated 02.08.2019 and subsequent amendment(s) thereto.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Fit and Proper Criteria for Elected Directors on the Boards of Public Sector Banks.
Guidelines issued by Government of India for the appointment of Part-Time Non-Official Directors dated 25 th March, 2015 and subsequent amendments dated 8 th July 2016 read with GOI letters dated 28 th April 2015 and 20 th July, 2016 and amendments thereto, if any.	September 2013 in mind while ca and Proper' Sta elected as Sha Section 9 (3)(i)	of India Notification dated 3 rd , these Guidelines are to be kept arrying out determination of 'Fit atus of the Candidates to be areholder Director pursuant to of the Banking Companies Transfer of Undertakings) Act,
RBI Master Circular dated 1 st July 2015, as amended including any further circular in this regard.	Granting loans Directors.	and advances to relatives of

SEBI (Listing Obligations and	Provisions relating to Independent Director and
Disclosure Requirements)	their appointment.
Regulations, 2015.	

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, the Banking Regulation Act, the Scheme, PNB Regulations as well as RBI Master Directions on 'Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated 2nd August, 2019, as amended and Guidelines issued by Government of India has been made available on the Bank's website www.pnbindia.co.in. Such extracts will be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank through email at hosd@pnb.co.in on or before the last date fixed for submission of nomination forms i.e. by 5.00 p.m. of Wednesday, 20th August, 2025.

2. Participation in Election

Such of those shareholders whose name appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners as furnished by NSDL/CDSL as on the Specified/Cut-off Date i.e., **Friday, 8**th **August, 2025** shall be entitled to participate i.e., **nominate, contest and vote** in the election of One Shareholder Director from amongst Shareholders other than the Central Government.

It may be noted that, Central Government is not entitled to vote in the election of Director.

3. Qualifications required for being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall:
 - A. have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters namely: -
 - agriculture and rural economy,
 - banking,
 - co-operation,
 - economics,
 - finance.
 - law,
 - small scale industry,
 - any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank including matters or areas relating to (1) Information Technology (2) Payment & Settlement Systems (3) Human Resources (4) Risk Management and (5) Business Management [RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016]
 - B. represents the interest of depositors; or
 - C. represents the interest of farmers, workers and artisans

- ii) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should have 'Fit and Proper' status.
- iii) In terms of Section 9(3AB) of the Act, the Reserve Bank may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.
- iv) Further, the elected Director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

4. Disqualifications from being Elected as a Director of the Bank

- i) In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, a person shall be disqualified for being appointed as, and for being, a Director:
 - a) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
 - b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
 - c) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
 - d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955, or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.
- ii) If he is not found to be 'fit and proper' person in terms of Master Direction Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 dated 2nd August, 2019 and Govt. of India Guidelines for Appointment of Part-Time Non-Official Directors dated 25th March, 2015 and 8th July 2016 read with Govt. of India Notification dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any.

5. Tenure

In terms of Clause 9(4) of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

6. Vacation of office of directors, etc.

In terms of Clause 11 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970,:

- i) If a director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the Board for more than three consecutive meetings thereof he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- ii) The Chairman or whole-time director including the Managing Director or a director [referred to in clause (b) or clause (c) of sub-section (3) of section 9 of the Act] may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; any other director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.

7. Removal from office of an elected director

In terms of Clause 11A of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the shareholders other than the Central Government, may, by a resolution passed by majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any director elected under clause (i) of sub-section (3) of section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy

8. Filling of vacancy in the office of an elected director

In terms of Clause 11B of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970:

- i) where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected director, the vacancy shall be filled in by election.
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled in by the remaining directors.
- ii) A person elected or co-operated, as the case may be, under sub-clause (i) shall hold office for the un-expired portion of the term of his predecessor.

9. Special Provision in terms of Clause 14A of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970

Pursuant to the Clause 14A of the Scheme, where a nationalised bank is required by law to do any act or thing and in order to do so the recommendations or determination of, or resolution of grievances of security holders by, or in respect of any appointment, approval or review by any Committee of the Board of the Bank is required, and if the Board is satisfied that guorum for meeting of such Committee cannot be met on

account of either existence of any vacancy in such Committee or recusal by member thereof, the Board may do that act or thing.

10. Master Direction - Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019

The Reserve Bank of India in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 / 1980 has issued Master Directions on ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs dated **2**nd **August, 2019** laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as Directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition &Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

The Authority, manner/procedure and criteria for deciding the 'fit and proper' status etc. are as under:

- i) Authority: The Bank is required to constitute a Nomination and Remuneration Committee ['the Committee'] consisting of a minimum of three Non-Executive Directors from amongst the Board of Directors, out of which not less than one-half shall be Independent Directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under Section 9(3)(i) of the Act. Further, the Gol Nominee Director and the Director nominated under Section 9(3)(c) of the Act cannot be part of this Committee. The Non-Executive Chairperson of the Bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The quorum of the Committee shall be three, including Chairman.
- ii) Manner and procedure: The Bank shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the prescribed format from the persons who file their nominations for election. The Nomination and Remuneration Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.
- **iii) Criteria**: The Nomination and Remuneration Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:
 - Age The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
 - Educational qualification The candidate should at least be a graduate.
 - Experience and field of expertise The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in Section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and

- Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated 24th November, 2016.
- Disqualifications In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed under Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980:
 - a) The candidate should not be a member of the Board of any Bank (which includes a Banking Company, a corresponding new bank, State Bank of India, a Co-operative Bank and a Regional Rural Bank) or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a Non-Operative Financial Holding Company (NOFHC) holding any other Bank.
 - b) A person connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a Public Sector Bank. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as Directors if they do not enjoy any managerial control in them.
 - c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a Bank if he/she has served as Director in the past on the board of any Bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
 - d) The candidate should not be engaged in the business of stock broking.
 - e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.).
 - f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a **Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India**.
 - g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as **Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Bank in which nomination for election is filed.**
- Tenure: An elected director shall hold office for three years and shall be eligible
 for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period
 exceeding six years, whether served continuously or intermittently.

Professional Restrictions –

a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned Bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that Bank.

- b) The candidate should not be having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other Bank.
 - Provided that a candidate having any such relationship with a Bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b) the candidate shall submit a declaration to the Nomination and Remuneration Committee that such relationship with the Bank shall be severed if he is elected as a Director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a Director of the Bank.
- Track Record and Integrity: The candidate should not be under adverse notice of any Regulatory or Supervisory Authority/Agency, or Law Enforcement Agency and should not be a defaulter of any lending institution.

iv) The Banks shall obtain from the elected director:

- a) a Deed of Covenant executed in the format annexed in prescribed format, before such person assumes office of Director.
- b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh declaration and undertaking incorporating the changes.

v) The Banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/ investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily dissociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

vi) Where the elected director:

- a) fails to:
 - (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
 - (ii) make proper disclosures; or
 - (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- b) makes incomplete or incorrect disclosures, or

c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above:

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

11. Govt. of India Guidelines

As advised by Govt. of India vide its letter dated 3rd September, 2013 the 'Nomination and Remuneration Committee of Board shall keep in mind the Guidelines issued by GOI for Appointment of Non-Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Director. The GOI has forwarded revised Guidelines dated 25th March 2015 and amendments dated 8th July 2016 to Public Sector Banks vide its letters dated 28th April 2015 and 20th July, 2016, the gist of which is as follows:

i. General

- a) Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- b) The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

ii. Experience

- a) Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- b) Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of the PSB from which they have retired. Serving CMDs/ EDs of PSB will not be considered as NOD on the Board of any other PSB.
- c) Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- d) Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- e) However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits.

f) Wherever possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

iii. Education

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

iv. Age

The age of the Director, on the date of recommendation by Search Committee should not be more than 67 years.

v. Work Experience

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

vi. Disqualifications

- a) A director already in a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, Members of Parliament, Members of Legislative Assemblies, Members of Legislative Councils and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- c) No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- d) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in any Public Sector Bank (PSB) as a Statutory Central Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firm shall be eligible for appointment as NOD in any Nationalised Bank/PSB.
- e) If a Chartered Accountant firm is currently engaged in a Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor, no partner of the same Chartered Accountant firms should be eligible for appointment as NOD in the same bank.

vii. Tenure

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/ Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

viii. Professional restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

ix. Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

While determining the 'Fit & Proper Status' of candidates contesting election of shareholder Director the Guidelines issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India for the appointment of Non-Official Directors vide its letter dated 25.03.2015 and subsequent amendments informed vide its letter dated 08.07.2016 are also required to be kept in mind. However, these Guidelines have been aligned with the aforementioned RBI Master Directions.

12. List of Shareholders

As provided in Regulation 64 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 as amended, a copy of the List of Shareholders will be available at Share Department, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi from **Wednesday, 13th August, 2025 onwards** for purchase by Shareholders at Rs.5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs.50,000/- (including for full shareholders' list) by Demand Draft in favour of Punjab National Bank payable at New Delhi. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give an undertaking that the list will be used only for canvassing in the election and not for any other purpose whatsoever.

13. Inspection of Register of Shareholders

As provided in Regulation 11 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000, as amended, the Register of Shareholders will be open for inspection at the Head Office, New Delhi on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays and Bank Holidays) i.e. from Monday to Friday and first and third Saturdays between 11.00 a.m. and 4.00 p.m. for the purpose of enabling the contestants to take extracts of any part from the Register of the Shareholders. If any shareholder requires a copy or computer print of select / part information, purchase by Shareholders at Rs.5/- per 1,000 words and part thereof subject to a maximum of Rs.50,000/- (including for full shareholders' list)

14. Nomination of Candidates for Election

No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless:

i. In terms of Regulation 65 of the Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 he/she is a shareholder holding not less than **100 (One**

hundred) shares of the Bank as on **Friday**, **8**th **August**, **2025** being the Specified Date/Cut-off Date of reckoning for participation in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.

- ii. As on **Wednesday**, **20**th **August**, **2025**, being the last date for receipt of nomination, he / she is not disqualified to be Director under the Banking Regulation Act, 1949 or the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 or the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 or the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000 and thereafter has been found "Fit and Proper" by the Board of Directors in accordance with the provisions of the Master Directions Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions dated 2nd August, 2019, read with Guidelines dated 25th March, 2015 and 8th July, 2016 issued by the Government for Non-Official Directors of the Public Sector Banks and appointment of Independent Director under SEBI (LODR) Regulations 2015 or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.
- iii. The valid nomination is in writing signed by at least **100 (One hundred) shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be submitted to the Bank on or before 5.00 p.m. of Wednesday, 20th August, 2025, addressed to the Share Department, Punjab National Bank, Head Office, Plot No.4, Sector 10, Dwarka, New Delhi -110075 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- iv. The valid nominations are to be accompanied by a declaration signed by the candidate as per the specimen form of declaration furnished in this Notice duly signed before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank that he / she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act or the Scheme or the Regulations from being a Director and there are no calls in arrears in respect of the shares held by him/her. The same should be accompanied with his / her personal details (bio data) duly signed and affirming that such details are true to the best of his / her knowledge and belief and also his / her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- v. The proforma of Nomination Form and Declaration Form are annexed to this Notice (also available on the Bank's website: www.pnbindia.in).

15. Submission of Nomination Forms

Shareholders desirous of contesting the election of the Director of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government should submit the following documents in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope **super scribing thereon** "Punjab National Bank - Election of Shareholder Director – 2025, either by hand delivery OR through Speed Post/Regd. Post/Courier addressed to:

"<u>The Share Department,</u>
<u>Punjab National Bank,</u>
<u>Head Office, Plot No.4, Sector 10,</u>
Dwarka, New Delhi – 110075"

so as to reach on any working day on or before 5.00 p.m. on 20th August, 2025

- Duly filled in Declaration Form;
- Valid Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the related documents, testimonials, viz. self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respect failing which the nominations are liable to be rejected.

Please note that the Bank shall not be responsible for non-receipt or late receipt of Nomination forms, in case the same are dispatched through Speed Post/Regd. Post/Courier OR hand delivered without receipt of acknowledgement from an Official of the Share Department.

16. Scrutiny of Nominations and Election of Director

- i. Nominations shall be scrutinized by the Bank on **Thursday**, **21**st **August**, **2025** which is the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons therefor.
- ii. The meetings of the Nomination and Remuneration Committee of the Board are presently suspended and the Bank under the advice of Reserve Bank of India vide their letter dated 02.06.2025 and with the approval of Board of Directors dated 11.06.2025 has invoked the Special Provision under Clause 14A of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, described herein before at page 66 of this Notice.
- iii. Valid Nominations shall then be subjected to scrutiny by the Board of Directors in terms of RBI Directions and Govt. of India Guidelines. As restrictions imposed by RBI Directions and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the 'Fit & Proper' status of the Candidates.

- iv. The Bank may at the time of Scrutiny of Nominations or as advised by the Board seek further information / documents from the Candidates.
- v. After scrutiny, if there is only one valid nomination for the vacancy, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers. The newly elected director will assume office with effect from the day next to the day to Board Meeting and hold office till 05.10.2026. In such an event as the EGM has been convened *only* for the purpose of Election of One Shareholder Director, the EGM shall stand cancelled.
- vi. If there is more than one valid nomination, the names of the candidates shall be informed to the Stock Exchanges and uploaded on the Bank's website followed by publication in the newspapers and Election will be held at the EGM. The candidate securing the majority of the votes cast through remote E-voting and E-voting at the Meeting will be declared as elected and his/her name will be announced. The newly elected director will assume office with effect from the day next to the date of election and hold office till 05.10.2026.

17. Withdrawal of Nominations

In the event of more than one valid candidate and any of candidate(s) desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so by emailing a scanned copy of the signed letter to this effect addressed to the Company Secretary, Punjab National Bank, Share Department, Head Office, Dwarka, New Delhi at hosd@pnb.co.in by 5.00 p.m., on or before Saturday, 30th August, 2025.

18. Disputes

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 67 of the Punjab National Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2000.

19. Removal of a Director

Attention of shareholders is invited to Section 9(3B) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 on the right of Reserve Bank of India to remove a Director so elected under Section 9(3)(i) of the said Act, who does not fulfil the requirements of Section 9(3A) of the said Act.

20. Interest of Directors

Directors of the Bank, in case they decide to contest the elections, may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

By order of the Board of Directors For Punjab National Bank

Place: New Delhi
Date: 13.08.2025

(Bik

Sd/-(Bikramjit Shom) Company Secretary

Sr. No.	
---------	--

Nomination Form (Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

To,

Punjab National Bank Head Office, New Delhi

Dear Sir,

ELECTION OF DIRECTOR

With reference a shareholder (fully paid-up) participating Shri/Smt daughter/wife	of Punjab Na as on Frid in of	ational Ba ay, 8 th Au the	nk holding ugust, 2025 i Election,	e., the Sp	quity shares o pecified / Cut- hereby	f Rs.2/- each -off Date for nominate son/ residing at
National Bank the Banking C Extraordinary C 4 th September,	representing Companies (General Mee	ງ the share Acquisitio	holders of the and Transfe	Bank as poer of Unde	rovided in Sec rtakings) Act,	tion 9(3)(i) of 1970 at the
Name:						
Signature:						
Number of sha	res held:					
Regd. Folio No (if not demater DP ID No. & C (If dematerializ Place: Date:	ialized) lient ID No.:					

Notes:

- 1) In case nomination is made by a body corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Share Transfer Agent of the Bank.
- 3) If any of the columns above is left Blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

Declaration by the Candidate

(Refer Regulation 65 of the PNB Regulations)

I,	 	son/daughter/wife	of	Shri/Smt.
resident				
hereby confirm that:				

- a. I am a shareholder holding equity shares of Rs.2/- each of the Bank as on 8th August, 2025 i.e., the Specified /Cut-Off Date for participating in the election, and undertake to hold the shares till the end of the tenure, if elected as a Director of the Bank;
- b. I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology /Payment & Settlement Systems / Human Resources / Risk Management / Business Management, the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank and I represent the interest of the *depositors / farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials,

*Delete whichever is not applicable

- c. I accept the nominations numbering to;
- d. I am willing to contest for the election of Director of Punjab National Bank;
- e. I am not disqualified from being a Director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Punjab National Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2000 and Master Directions issued by RBI, and Guidelines issued by Govt. of India with regard to Non-Official Directors of Public Sector Banks;
- f. I neither hold any office of profit nor am I an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959;
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013;

I further declare that:

- h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or have been compounded with the creditors;
- I have not been found to be of unsound mind and have not been so declared by a competent court;
- j. I have not been convicted by any court of law;

- k. I have not been convicted by a criminal court of an offence which involves moral turpitude or otherwise;
- I. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other Court;
- m. I will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter;
- n. I am not a member of the Board of any Bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other Bank;
- o. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- p. I have not served as Director in the past on the board of any Bank/FI/ RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently;
- q. I am not engaged in the business of stock broking;
- r. I am not holding the position of a Member of Parliament or State legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.);
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any Nationalised Bank or State Bank of India:
- t. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Punjab National Bank in which nomination for election is filed;
- I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Punjab National Bank nor am I engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Punjab National Bank;
- v. I am not having any professional relationship with a Bank or any NOFHC holding any other bank and undertake to sever the relationship, if any, with the Bank if elected before assuming charge as a Director;
- w. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution;
- x. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI Master Directions dated 02.08.2019) before assuming office as a Director;
- y. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants;
- z. I undertake to comply with relevant provisions of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as Director of the Bank, if elected;

bb.I enclo	Name Signature Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		e to the best of my knowledge and b
bb.I enclo	ose my personal details what complete in all respects; Name Signature Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		•,
bb.I enclo	ose my personal details what complete in all respects; Name Signature Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		•,
true ar	Name Signature Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.	ich are	e to the best of my knowledge and b
S N F (C	Signature Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		
N	Number of shares held Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		
F ((F	Regd. Folio No. if not dematerialized) DP ID No. & Client ID No.		
([(F	if not dematerialized) OP ID No. & Client ID No.		
(F	OP ID No. & Client ID No.		
(F			
F			
	if dematerialized)		
	Place		
_	Date		
The al	pove declaration was signed	d before	e me.
. , .,			
			istrar or Sub-Registrar of Assurances ve Bank of India or any Nationalized B
nor Gazette	d Officer of all officer of the	I (CSCI V	ve Barik of india of arry Nationalized B

Name of the Bank: Punjab National Bank

<u>Declaration and Undertaking by a Proposed Director</u> (with appropriate enclosures)

Affix passport size photo here

Declara	tion & Undertaking by the Candidate wi	th enclosures as a	ppropriate as	on	2025	5
Sr. No.	Particulars	Information Disclosed				
I	Personal details					
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last N	ame	
2.	Father's Name		1			
3.	Gender (M/F/Others)		SC/ST/	OBC		
4.	Present Address					
5.	Permanent Address					
6.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:					
7.	Nationality					
8.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	days	Age: yea	rs mo	onths -	
9.	Educational Qualifications					
10.	Director Identification Number					

	Aadhaar Number (optional)		
12.	(a) Permanent Account Number(PAN)(b) Charge where the proposed		
	director is assessed to tax	Date of filing	Amount of tax paid (INR)
	(Income Tax jurisdiction) / name		,
	and address of Income Tax		
	Circle/Ward		
	(c) Details of filing of return(s)		
	and payment of taxes for past 3		
	years		
13.	Details in the form of a brief write up on the <i>relevant knowledge or experience</i> in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, cooperation, economics, finance, law, small scale industry, or in matters or areas relating to Information Technology/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management, or any other matter the special knowledge of and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank.		
14.	Present occupation (designation, name of the organisation and brief write-up on experience)		
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organisation(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.		
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following: (a) Membership Number of Institute of		

	Chartered Accountants of India				
	(ICAI):				
	(b) Date of registration with the				
	ICAI:				
	(c) Name and Address of the				
	registered firm/s:				
	(d) Details of the Audit(s)				
	presently undertaken by the				
	firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with	Name	Branch	Type of	A/c
	Branch and Account Numbers	of the		A/c	Number
	(savings/current/loan accounts)	Bank			
	where you are a primary account				
	holder:				
18.	Details of shareholding, if held in				
	any entity, either in physical or				
	dematerialized form, by you,				
	spouse, and your minor child.				
	(attach demat/shareholding				
	certificate)				
19.	Any other information relevant to				
	Directorship of the Bank				
	'				
- 11	Relevant Relationships of prop	osed direct	tor		
1.	List of Relatives (Refer Section				
	2(77) of Companies Act, 2013				
	and Rule 4 of Companies				
	(Specification of definitions				
	details) Rules, 2014) if any, who				
	are connected with any bank:				
2.	a) List of entities, if any, in which				
	you are interested (Refer				
	Section 184 of the Companies				
	Act, 2013) Names of the banks/				
	NBFCs/ companies/ bodies				
	corporate/ firms / association of				
	individuals etc. should be				
	mentioned separately.				
	b) List of entities in which you				
	hold beneficial ownership				
	[Section 89 of the Companies				
	Act, 2013 and also refer to				
	applicable Significant Beneficial				
	Ownership Rules of MCA]				

	a) List of Trusts in which position		
	c) List of Trusts in which position		
	of Trustee is held by you (also		
	mention any other relationship		
	with reference to a trust):		
3.	List of entities, existing and		
	proposed, in which you are	Name of the company /	
	holding substantial interest	firm	
	within the meaning of Section	Country of incorporation	
	5(ne) of the Banking Regulation	Number of shares	
	Act, 1949.	Face Value of each	
	"= '	share	
	"Substantial Interest" (i) in		
	relation to a company, means	Total face value of share	
	the holding of a beneficial	holding	
	interest by an individual or his	Shareholding as % of	
	spouse or minor child, whether	total Paid up Capital	
	singly or taken together, in the	Beneficial interest (in	
	shares thereof, the amount paid	value as well as '%	
	up on which exceeds rupees two	terms)	
	crores or ten percent of the paid-	Whether the entity is a	
	up capital of the company,	Section 8 Company	
	whichever is less; (ii) in relation	, ,	
		under Companies Act,	
	to a firm, means the beneficial	2013	
	interest held therein by an		
	individual or his spouse or minor		
	child, whether singly or taken		
	together, which represents more		
	than ten per cent of the total		
	capital subscribed by all the		
	partners of the said firm;		
4.	Details of holdings in entities		
	incorporated abroad and having		
	a place of business in India.		
	† •		
5.	Name of Bank/NBFC/any other		
	company in which currently or in		
	the past you are a member of the		
	Board/Advisor etc. (giving		
	details of period during which		
	such office is being/was held)		
6.	If connected with any entity		
	undertaking hire purchase,		
	financing, investment, leasing		
	and other para banking activities		
	(nature of association to be		
	mentioned), details thereof.		

	,	
7.	If a stock broker or connected	
	with any entity engaged in share	
	broking activities, details thereof	
8.	Details of fund and non-fund-	
Ο.		
	based facilities, if any, presently	
	availed in person and/or by	
	entities listed at Point II (2) to (7)	
	above.	
9.	Cases, if any, where as an	
J.	•	
	individual, you, or the entities	
	listed at Point II (2) to (7) above	
	have defaulted or declared as	
	wilful defaulter in the past in	
	respect of credit facilities	
	obtained from a Bank/NBFC/any	
	other lending institution.	
	outer fortaing medication.	
Ш	Records of Professional	
""		
	Achievements	
1.	Professional achievements	
	relevant for the directorship.	
IV	Proceedings, if any, against	
	the proposed director	
1.	a) As a member of a	
'-	professional association/body,	
	1 •	
	details of disciplinary action, if	
	any, pending or commenced or	
	resulting in conviction in the past	
	or whether been banned from	
	entry at any	
	profession/occupation at any	
	time, details thereof.	
	b) If subject of any written	
	complaint or accusation	
	regarding individual professional	
	conduct or activities, details	
2.	conduct or activities, details thereof.	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any,	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities	
2.	conduct or activities, details thereof. Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self and/or against any of the entities listed at Point II (2) to (7) above	

3.	Details of criminal prosecution, if	
	any, pending or commenced or	
	resulting in conviction.	
4.	If indulged in any breach of	
	AML/CFT guidelines, details	
	thereof.	
5.	If attracting any of the	
J.	disqualifications envisaged	
	under Section 164 of the	
	Companies Act, 2013, details	
_	thereof.	
6.	If adjudicated insolvent or has	
	suspended payment or has	
	compounded with creditors,	
	details thereof.	
7.	If found to be of unsound mind	
	and stands so declared by a	
	competent Court, details thereof	
8.	(a) If convicted by a Criminal	
	Court of an offence which	
	involves moral turpitude or	
	otherwise, details thereof	
	•	
	(b) If convicted by any Court of	
	law, details thereof.	
9.	If holding any office of profit	
	under any Nationalised bank or	
	State Bank of India, except for	
	holding the post of a whole-time	
	director, details thereof.	
10.	If as an individual or any of the	
	entities at Point II (2) to (7)	
	above have been subject to any	
	investigation/vigilance/ matters	
	of enquiry from any of the	
	previous employers or	
	government departments or	
	agency, details thereof.	
11.	If found guilty of violation of	
	rules/ regulations/ legislative	
	requirements by customs/	
	excise/ income tax/ foreign	
	exchange/ other revenue	
	authorities, details thereof	
12.		
12.	If reprimanded, censured,	
	restricted, suspended, barred,	
	enjoined, or otherwise	

	sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA	
	etc., professional organisation,	
	government agency, or court	
	because of professional conduct	
	or activities, details thereof.	
	•	
	(Though it shall not be	
	necessary for a candidate to mention in the column about	
	orders and findings which have	
	been later on reversed/set aside	
	in toto, it would be necessary to	
	make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside	
	is on technical reasons like	
	limitation or lack of jurisdiction,	
	and not on merit. If the order is	
	temporarily stayed and the	
	appellate/court proceedings are	
	pending, the same also should	
	be mentioned).	
V	General Information	
1.	If a professional like Chartered	
	Accountant, Advocate etc. and	
	presently undertaking/	
	undertaken any professional	
	work in any bank, provide details	
	thereof including the name of the	
	bank and period of association	
	with the bank.	
2.	If a sitting MP/MLA/MLC or	
	holding political position in	
	Municipal Corporation or	
	Municipality or other local	
> /1	bodies, provide details thereof.	
VI	In the interest of disclosure	
	and transparency, should there be any other information	
	relevant for assessing 'fit and	
	proper' provide details thereof	
		ertaking
Lconfir		the best of my knowledge and belief, true and

I confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place after my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute t Bank.	he Deed of Covenant required to be executed with the
Place: Date:	Signature of Candidate
Enclosures:	
Note:	
chronological order and with a	icient, please attach the information as annexures in appropriate cross reference. res) is required to be signed by the candidate.
Place :	
Date:	
Remarks of Board of Directors having satisfied itself that the above information is true and complete.	
Place:	Signature of the Chair of the Board
Date:	